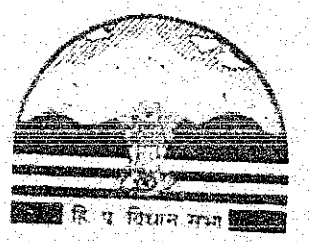

स्थानीय निधि लेखा समिति

चौदहवीं विधान सभा

(वर्ष 2024-25)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, विकास खण्ड शिलाई, सिरमौर अवधि 04/2018 से03/2023 के लेखाओं पर तैयार विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा पर आधारित।

प्रथम मूल प्रतिवेदन

(दिनांक 09 सितम्बर,2024 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय शिमला-171004.

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	iii
2.	प्रस्तावना	iv
3.	प्रतिवेदन	1-75

समिति का गठन

सभापति

1.	**श्री संजय रत्न**	**सभापति**

सदस्य

2.	डॉ0 हंस राज	सदस्य
3.	श्री सत्तपाल सिंह सती	सदस्य
4.	श्री प्रकाश राणा	सदस्य
5.	श्री आशीष शर्मा	सदस्य
6.	श्री केवल सिंह पठानिया	सदस्य
7.	श्री कुलदीप सिंह राठौर	सदस्य
8.	श्री हरीश जनारथा	सदस्य
9.	श्री विवेक शर्मा	सदस्य

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1.	श्री यशपाल शर्मा	सचिव
2.	श्री राकेश ठाकुर	उप सचिव एवं समिति अधिकारी
3.	श्री पबनेश कुमार ठाकुर	अनुभाग अधिकारी

1-13

प्रस्तावना

मैं, सभापति, स्थानीय निधि लेखा समिति (चौदहवीं विधान सभा)(2024-25) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से प्रथम मूल प्रतिवेदन जोकि हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नाया पंजोड़, विकास खण्ड शिलाई, सिरमौर अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं पर तैयार विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा पर आधारित को सदन में प्रस्तुत करता हुँ।

समिति (वर्ष 2024-25) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्याः वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018, द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2024 को किया गया।

समिति, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को मौखिक साक्ष्य के दौरान दिनांक 26 जुलाई, 2024 को ऑडिट से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई।

समिति निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर आयोजित समिति की बैठकों में अपना सहयोग दिया।

समिति ने दिनांक 06/09/2024 को आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है, जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग दिया।

दिनांकः 06.09.2024
शिमला- 171004

(संजय रत्न)
सभापति,
स्थानीय निधि लेखा समिति।

150

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन श्री वारू राम शर्मा गांव नाया पंजोड , त0 शिलाई, जिला सिरमौर हि0प्र0 द्वारा समिति को प्रस्तुत आवेदन पर समिति के निर्देश पर राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत नाया पंजोड, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर के गत पांच वर्षों 04/2018 से 03/2023 के वित्तीय लेखों के अंकेक्षण के उपरान्त तैयार विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर आधारित है।

इसमें समिति के ध्यान में कुछ अन्य बिन्दु भी आये थे जिन पर मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति ने सचिव,(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), निदेशक (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) एवं जिलाधीश सिरमौर को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये। जिन पर विभाग द्वारा प्रतिवेदन तैयार करने से पहले कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है । जिसकी समिति भूरि-भूरि प्रशंसा करती है, साथ ही पुनः निर्देश देती है कि इन सब कार्रवाईयों को समयवद्ध तरीके से अंज़ाम तक पहुंचाया जाए।

1. पैरा सं0 1 : प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्याPCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत-नाया पंजोड, तहसील, डाकघर व विकास खण्ड शिलाई, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पिन कोड-173027 के अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं का विशेष अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2018 से 31/03/2023 के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे:-

प्रधानः-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति लज्जा शर्मा	01/04/2018 से 22/01/2021
2	श्री लायक राम	23/01/2021 से 31/03/2023

सचिवः-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री चन्दन सिंह	01/04/2018 से 27/12/2021
2	श्री बलदेव सिंह	28/12/2021 से 31/03/2023

तकनीकी सहायकः-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री राजेन्द्र सिंह	01/04/2018 से 01/04/2019
2	श्री जगत सिंह	02/04/2019 से 01/06/2021
3	श्री दलीप सिंह	02/06/2021 से 31/03/2023

ग्राम रोज़गार सेवकः-

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री मनसा राम	01/04/2021 से 31/03/2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः-

ग्राम पंचायत नाया पंजोड, विकास खण्ड-शिलाई, जिला सिरमौर के अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः-

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि रूं लाखों में
1	4.3	दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही व बैंक शेष में भारी अन्तर	1.02
2	5,8.1	रोकड़ बही में आय-व्यय का लेखांकन न करना व व्यय के वाउचर प्रस्तुत न करना	11.12
3	7.1,7.2,8.5, 9.1,9.7,10.1	आय-व्यय का अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	285.54
4	9.2	निविदा सम्बन्धि औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना व्यय	106.81

5	9.3,10.9	स्टॉक रजिस्टर/माप पुस्तिकाओं में सामग्री/भुगतान की प्रविष्टियां न करना	91.78
6	9.4	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना भुगतान	22.27
7	9.5	गणपूर्ति(Quorum) के बिना प्रस्ताव पारित करके भुगतान करना	4.70
8	9.6	छाया प्रति (Xerox Copy)बिलों पर भुगतान करना	0.69
9	9.9,9.10 (क), 9.10 (ग), 9.11, 10.2,10.3,10.5 10.8,10.11,10.12 10.13,10.15	विभिन्न अनियमित व्यय/भुगतान करना	192.86
10	10.4	निर्माण कार्य में सीमेन्ट व अन्य सामग्री का उपयोग न करके धन दुर्विनियोजन	20.84
11	10.6	आपूर्तिकर्त्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	6.52
12	10.7	निर्माण सामग्री की प्राप्त मात्रा से वॉइडस(Voids) की कटौती न करना	4.75

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत- नाया पंजोड, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर का यह प्रथम अंकेक्षण है।

सिफारिशः

राज्य लेखा परीक्षा विभाग ने अपने विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित किया है कि ग्राम पंचायत नाया पंजोड, विकास खण्ड शिलाई, जिला सिरमौर का यह प्रथम अंकेक्षण है। अतः समिति सिफारिश करती है कि विभाग यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों का पांच वर्ष में कम से कम एक बार राज्य लेखा परीक्षा विभाग से ऑडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

समिति द्वारा पंचायती राज विभाग को अपने Internal audit wing से उपरोक्त पंचायत का अपैल,2018 से मार्च,2023 तक का Audit करवाने हेतु निर्देश दिये थे ।समिति के निर्देशों की अनुपालना में विभाग ने अपने Internal Audit Wing द्वारा किए Audit Report को समिति को उपलब्ध करवाया। जिसमें 20 से 22 ऑडिट पैरा लगाए गए थे। इसी पंचायत एवं अवधि का राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा भी ऑडिट किया गया, जिसकी Audit Report में लगभग 50 से अधिक ऑडिट पैरा लगाए गए थे।

समिति का मत है कि दो ऐजैंसीयों के ऑडिट पैरा के Content में विभिन्नता होना स्वाभाविक है। परन्तु एक पंचायत में एक समान अवधि के दौरान किए गए ऑडिट में लगभग 30 पैरों का अंतर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है अतः समिति को कारणों से स्पष्ट करें।

भाग-दो

2. पैरा सं0: 2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत नाया पंजोड, विकास खण्ड-शिलाई, जिला सिरमौर के अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री कविन्द्र कंवर, अनुभाग अधिकारी तथा श्री तरूण सैनी, कनिष्क लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 04/12/2023 से 30/01/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

समितिकोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

3. पैरा सं0: 3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत-नाया पंजोड, विकास खण्ड-शिलाई, जिला सिरमौर के अवधि 04/2018 से 03/2023 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹67600** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन सं0 10 दिनांक 30/01/2023 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला-171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिश:

अंकेक्षण शुल्क की अदायगी शीघ्र करके समिति को अवगत करवायें।

4. पैरा सं0: 4 वित्तीय स्थिति:-

4. पैरा सं0: 4.1

सचिव,ग्राम पंचायत नाया पंजोड द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2018 से 31/03/2023 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-1 से 3** पर भी दिया गया है:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	कुल (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2018-19	2299617.30	7382837.81	9682455.11	7578120.70	2104334.41
2019-20	2104334.41	4793629.00	6897963.41	4264704.40	2633259.01
2020-21	2633259.01	6485133.00	9118392.01	6540487.40	2577904.61
2021-22	2577904.61	8926405.50	11504310.11	9683901.10	1820409.01
2022-23	1820409.01	11694980.00	13515389.01	10587942.40	2927446.61

समिति विभागीय उत्तर के दृष्टिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती।

5. पैरा सं0: 4.2

ग्राम पंचायत नाया पंजोड में दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार अन्त शेष विस्तृत विवरण व बैंक समाधान विवरणी **परिशिष्ट-4 से 7** पर संलग्न है।

6. पैरा सं0: 4.3

परिशिष्ट-4 में प्रस्तुत सूचना अनुसार दिनांक 31/03/2023 को रोकड़ बही व बैंक अनुसार₹ 102224 {सामान्य निधि- 6806(बैंक में कम जमा)तथा 15वां वित्त आयोग-95417.90(बैंक में अधिक जमा)} के अन्तर हेतु कोई उचित स्पष्टीकरण अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 3दिनांक 28/12/2023 का पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर नहीं दिया गया।

सिफारिश(पैरा सं0 4.2 व 4.3):

ग्राम पंचायत नाया पंजोड के दिनांक: 31-03-2023 को रोकड़ बही और बैंक अनुसार अन्त शेष में अन्तर के क्या कारण है व समिति निर्देश देती है कि इस अन्तर के कारणों को शीघ्रातीशीघ्र दूर करके कृत कार्रवाई से खातावार अवगत करवायें।

साथ ही समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रदेश में समस्त पंचायत सचिवों को निर्देश जारी किये जाए कि अंकेक्षण ज्ञापनों का उचित उत्तर सम्बन्धित उत्तर पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक उपलब्ध करवा दिया जाए।

यदि उक्त के सम्बन्ध में किसी कर्मचारी द्वारा कुताही की जाती है, तो उसके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए।

7. पैरा सं0: 4.4 स्वः स्त्रोत निधि के लिए स्वतन्त्र खाते का संचालन न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त,बजट, लेखें,संपरीक्षा,संकर्म,कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 4(1)की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतन्त्र खाता 'क' (स्वः-स्त्रोतों के लेन देन हेतु) नहीं खोला गया था। स्वः स्त्रोत / सामान्य निधि व 13वें वित्त आयोग निधि का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा था। अतः खाता "क"के लिए स्वतन्त्र रूप से रोकड़ बही,लैजर खाते अथवा वर्गीकृत सार का संचालन न किये जाने के कारण पंचायत की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका। इस बारे सचिव से अंकेक्षण ज्ञापन सं0 3 दिनांक 27/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिश:

समिति को सूचित किया जाये कि पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता"क" क्यों नहीं खोला गया व इसके लिए जो उत्तरदायी है उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करके समिति को अवगत करवाया जाये।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में स्वः स्त्रोत निधि के लिए स्वतन्त्र खाता खोलना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किए जाए व उत्तर प्रेषित करते समय समिति को यह भी अवगत करवाया जाये कि कितनी ग्राम पंचायतें बिना इस खाते की है।

8. पैरा सं0: 4.5 बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना:-

हि0प्र0 पंचायती राज(वित्त,बजट,लेखें,संपरीक्षा,संकर्म,कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिमाह बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। इस बारे सचिव से

अंकेक्षण ज्ञापन सं0 3 दिनांक 27/12/2023 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिश:

समिति सिफारिश करती है कि प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश दिये जायें कि वे प्रतिमाह अपनी बैंक समाधान विवरणी तैयार करें और पाई जाने वाली कमियों को भी साथ ही दूर करें। साथ ही यह भी सभी पंचायतों को निर्देश दिये जायें कि यदि ऑडिट के समय इसकी अनुपालना में कोताही पाई जाएगी तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

9. पैरा सं0: 4.6 खाता बही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में खाता बही तैयार करने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि की खाताबहियों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 में इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्यहेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई थी व किस-किस कार्य पर कितना कितना व्यय हुआ था।

सिफारिश:

समिति जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करती है। साथ ही 2018-19 से 2022-23 पांचो वर्षो की खाताबही तीन माह के भीतर तैयार करके भी समिति को अवगत करवाया जाये।

10. पैरा सं0: 5 रोकड़ बही में ₹10.99 लाख के आय-व्यय का न तो लेखांकन करना तथा न ही व्यय के वाउचर प्रस्तुत करनाः-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुसार पंचायत के आय-व्यय हेतु रोकड़ बही तैयार करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु भी जिम्मेदार है।

अंकेक्षण ज्ञापन सं० KK/SO/2023/Vol.1-7 दिनांक 01/12/2023 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत संचालित योजनाओं व बैंक खातों से सम्बन्धित सूचना के आधार पर एस०बी०एम योजना के यूको बैंक, गत्ताधार खाता सं० 29640110040393 से सम्बन्धित बैंक विवरणी की पड़ताल करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-8** अनुसार **₹549525** की प्राप्तियों व **₹549338.86** के भुगतान से सम्बन्धित प्रविष्टियां न तो रोकड़ बही में दर्ज थी तथा न ही किए गए भुगतान से सम्बन्धित वाउचर व अन्य अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस बारे सचिव से अंकेक्षण ज्ञापन सं० 5 दिनांक 03/01/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त भविष्य में सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः

समिति सिफारिश करती है कि जिन अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा आय-व्यय का लेखांकन नहीं किया गया और न ही व्यय के वाउचर ऑडिट पार्टी को प्रस्तुत किये गये है उन्हें Show Cause Notice जारी कर इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिये जायें।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग इस सम्बन्ध में सभी पंचायतों को निर्देश जारी करें कि रोकड़ बही में आय-व्यय का लेखांकन एवं अंकेक्षण

हेतु अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध disciplinary proceedings अमल में लाई जाएगी।

11. पैरा सं0: 6 सावधि जमा में निवेश न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट-4** अनुसार ग्राम पंचायत के स्वः स्त्रोत खातों में दिनाँक 31.03.2023 को ₹ **1721332.61** की राशि शेष थी परन्तु सावधिक जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी।

सिफारिश:

समिति सिफारिश करती है कि इस सम्बन्ध में सभी पंचायतों को निर्देश दिये जायें कि स्वः स्त्रोत निधि की अतिरिक्त राशि को सावधि ज़मा में निवेश किया जाये व निर्देशों की प्रति समिति की संवीक्षार्थ प्रेषित करें।

12. पैरा सं0: 7 अनुदान

पैरा सं0: 7.1 प्राप्त सहायता अनुदान ₹55.52 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2018 से 31/03/2023 तक निम्न विवरणानुसार ₹ **5551641.70** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

योजना	वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त राशि (₹)	वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त राशि(₹)	वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त राशि(₹)	वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त राशि(₹)	वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त राशि(₹)	कुल राशि (₹)
14वां वित्त आयोग	887776.20	1599191.00	18943.00	0	0	2505910.00
15वां वित्त आयोग	0	0	369644.00	0	2055804.00	2425448.00
बी0आर0जी0एफ0	9368.00	0	0	0	0	9368.00
एस0बी0एम0	0	313	0	597061.50	0	597364.50
आर/ऐ0ऐ0वाई	12794.00	747.00	0	0	0	13541.00
कुल	909938.20	1600251.00	388587.00	597061.50	2055804.00	5551641.70

परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त सहायतानुदानों के स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति पत्रों के अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु अनुदानों के उपयोग की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, जोकि अनियमित है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 3 दिनांक 27/12/2023 द्वारा प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

सिफारिशः

स्वीकृति पत्रों का अंकेक्षण को प्रस्तुत न करने से यह पता नहीं चल पाता कि यह स्वीकृति किस कार्य हेतु है और क्या उसी उद्देश्य/कार्य हेतु खर्च की गई । 55.52 लाख के स्वीकृति पत्र प्रस्तुत न करना एक गम्भीर विषय है।

अतः समिति सिफारिश करती है कि लेखापति के निपटारे हेतु विभाग शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाये व उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई करके समिति को अवगत करवाये।

समिति का यह भी मत है कि प्रायः प्रदेश की सभी पंचायतों द्वारा स्वीकृति पत्र नहीं करवाया जा रहा है। जिसका मुख्य कारण सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा पंचायतों को भी लिखित में स्वीकृति पत्र नहीं दिया जा रहा है । अतः समिति

सिफारिश करती है जिस भी एजैंसी से कार्य हेतु पंचायतों को राशि प्राप्त होती है उस हेतु स्वीकृति पत्र भी जारी करें।

13. पैरा सं0: 7.2 अनुदान से ₹49.54 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2018 से 31/03/2023 तक निम्न विवरण अनुसार **₹4953763** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है:-

वर्ष	**वर्ष के दौरान अनुदानों से किया गया व्यय(₹)**
2018-19	431509.70
2019-20	1358748.40
1920-21	825279.40
2021-22	714597.10
2022-23	1623628.40
कुल व्यय	**4953763**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 27/12/2023 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बिन्धत अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी पस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

सिफारिशः

ग्राम पंचायत के तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों को न रखना व वर्तमान कर्मचारियों द्वारा उन्हें अंकेक्षण को प्रस्तुत न करना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उन सभी से स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई की जाये व समिति को अवगत करवाया जाये साथ ही लेखापति को निपटाने के लिए भी पग उठायें ।

साथ ही इस सम्बन्ध में प्रदेश की सभी पंचायतों को निर्देश जारी किए जाएं व यदि किसी कर्मचारी/ अधिकारी द्वारा इस प्रकार की पुनरावृति की जाती है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए।

14. पैरा सं0: 7.3 अनुदान खाते में ₹ 12.06 लाख राशि शेषः-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-4**पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2023 को ₹ **1206114**की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फंडिग ऐजेन्सी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:-

योजना	दिनांक 31.03.2023 को शेष राशि (₹)
13वां वित्त आयोग	5906.00
14वां वित्त आयोग	223766.60
15वां वित्त आयोग	942634.60
बी0आर0जी0एफ0	9368.00
एस0बी0एम0	12380.60
आर/ऐ0ऐ0वाई0	12058.20
कुल	**1206114.00**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 27/12/2023 द्वारा अंकेक्षण को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

सिफारिशः-

लेखा आपत्ति अनुसार विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31-03-2023 को ₹ 12.06 लाख की राशि अप्रयुक्त पड़ी थी जोकि एक गम्भीर समस्या है । अतः समिति सिफारिश करती है कि अप्रयुक्त पड़ी राशि को फंडिग एजेंसी के दिशानिर्देशानुसार व्यय करके समिति को मदवार पूर्व में प्रयुक्त न करने के कारणों सहित अवगत करवायें।

साथ ही समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रदेश की समस्त PRI's में unspent राशि कितनी है, उसकी सूचना समिति को ब्लाकवार उपलब्ध करवाई जाए।

15 **पैरा संः 8 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत**

पैरा संः 8.1 रसीदों से प्राप्त ₹ 0.13 लाख आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान और भत्ते) नियम2002 के नियम 7 के अनुसार रोकड़ बही में आय-व्यय की प्रत्येक मद का लेखांकन लेन-देन के दिन करना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित अभिलेखों तथा **परिशिष्ट- 9 व 10** के अवलोकन के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रसीदों से प्राप्त **₹ 13424** की आय का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकन के समय प्राप्त रसीदों का विवरण भी दर्ज नहीं किया गया था जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

विवरण	विवाह पंजीकरण	गृहकर	प्रमाण पत्र शुल्क	भू-राजस्व	कुल
अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीदों से प्राप्त आय	10000	56000	740	669	67409
अंकेक्षण अवधि दौरान रोकड़ बही अनुसार आय	7840	45925	220	0	53985
अन्तर	**2160**	**10075**	**520**	**669**	**13424**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0 8 दिनांक 30/01/2024 द्वारा उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध पंचायत सचिव से किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिश:-

समिति को अवगत करवाया जाये कि रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में क्यों नहीं दर्ज किया गया और इसके लिए कौन उत्तरदायी है।
उपरोक्त के दृष्टिगत समिति सिफारिश करती है कि इस राशि की तीन माह के भीतर वसूली करके, इसका इन्द्राज रोकड़ बही में करे और ऑडिट पैरा को समाप्त करवायें।

16. पैरा सं0: 8.2 गृह राजस्व:-

(क) गृहकर राजस्व ₹0.21 लाख वसूली हेतु शेष:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों

व **परिशिष्ट-11** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2023 तक पंचायत को देय गृहकर राजस्व राशि ₹20775 वसूली हेतु शेष थी, जिसकी सत्यता की जांच अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी क्योंकि-

- > पंचायत द्वारा गृहकर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का अद्यतन दिनांक 14/07/2021 के बाद किया गया था।
- > रजिस्टर में आरम्भिक शेष का विवरण नहीं दिया गया था।
- > गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर का संधारण उचित प्रकार से नहीं किया गया था।
- > रजिस्टर में वर्ष के दौरान प्राप्त की गई राजस्व राशि को लगातार क्रम में लिखा गया था, जबकि इसकी प्रविष्टी एक परिवार विशेष के लिए अलग पृष्ठ/ खाता बनाकर उसमें की जानी चाहिये थी ताकि प्रत्येक परिवार के लिए मांग व प्राप्ति की सही आकलन किया जा सके।

इस बारे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 8 दिनांक 30.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आकड़ों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने तथा भविष्य में यह त्रुटि न दोहराने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः

लेखा आपत्ति के दृष्टिगत समिति सिफारिश करती है कि गृहकर के मांग व संग्रहण रजिस्टर को पूर्ण रूप से संधारित कर व वसूली हेतु शेष गृहकर राजस्व की शीघ्र वसूली करके राज्य लेखा परीक्षा विभाग से सत्यापित करवा कर समिति को अवगत करवाया जाये।

17. पैरा सं0 8.2 (ख) ₹0.11 लाख की प्राप्त राशि की गृहकर रजिस्टर में प्रविष्टि न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार समस्त राजस्व को फार्म-10 के अनुसार मांग व संग्रहण रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त

आय से सम्बन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट-12** पर अभिलिखित सूचना अनुसार प्राप्त गृहकर राशि ₹10800 को प्रारूप-10 अनुसार मांग व संग्रहण "गृहकर रजिस्टर" में दर्ज नहीं पाया गया, जिस कारण प्राप्त राशि की सत्यता की जाच अंकेक्षण के दौरान सम्भव नहीं हो सकी। परिणामस्वरूप राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 8 दिनांक 30/01/2024 द्वारा सचिव को गृहकर प्राप्तियों की रजिस्टर में प्रविष्टि न करने के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने तथा भविष्य में यह त्रुटि न दोहराने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि लेखा आपत्ति में दर्शाई गई राशि को गृहकर रजिस्टर में दर्ज करवा कर समिति को अवगत करवाया जाये यदि इस राशि का गबन किया गया है तो वसूली सुनिश्चित कर जिम्मेदारी भी तय की जाये।

18. पैरा सं0: 8.3 मोबाइल टॉवर शुल्क ₹0.88 लाख की वसूली शेष :-

हि०प्र०, सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग के पत्र संख्याः डीएच डीआईटी डीईवी-(आईटी) 2005- (विविध)-96 दिनांक 21.06.2019 के पैरा 3.4 के नोट vi के प्रावधानानुसार मोबाइल टॉवर स्थापित करने वाली कम्पनी को ग्राम पंचायत द्वारा शुल्क की मांग जारी करने के एक माह के भीतर शुल्क की अदायगी की जानी अपेक्षित है।

सचिव द्वारा **परिशिष्ट-13** पर प्रस्तुत सूचना/ अभिलेखों के अनुसार दिनांक 31/03/2023 तक मोबाइल टॉवर शुल्क ₹87500 की राशि शेष थी जिसकी सत्यता की जांच अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी क्योंकि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार फार्म - 10 पर मोबाइल टॉवर शुल्क सम्बन्धी मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था जोकि अनियमित है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन सं0 3 दिनांक

27/12/2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अंकेक्षण को उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि मोबाईल टॉवर शुल्क सम्बन्धी मांग व संग्रहण रजिस्टर को संधारित किया जाये व मोबाईल कम्पनी से शुल्क की वसूली कर समिति को अवगत करवाया जाये।

19. पैरा संः 8.4 विवाह पंजीकरण शुल्कः-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04/10/16 के अनुसार पंचायत में 30 दिनों के भीतर विवाह पंजीकरण करवाने पर ₹200 प्रति पंजीकरण, 30 दिनों के बाद व 90 दिनों के भीतर ₹400 प्रति पंजीकरण तथा 90 दिनों के पश्चात दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी से समुचित आदेश प्राप्त कर ₹400 प्रति विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किए जाने का प्रावधान है।

(क) ₹0.05 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते)नियम 2002 के नियम 34(2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिशिष्ट-14 पर दर्ज सूचना अनुसार 16 विवाह पंजीकृत तो किए गए थे परन्तु इन से सम्बिन्धित ₹4800 की विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्ति सम्बन्धी रसीदें अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं की गई तथा न ही इस प्राप्ति को रोकड़ बही में दर्ज पाया गया था। इससे प्रतीत होता है कि या तो राशि प्राप्त ही नहीं की गई थी अथवा प्राप्त राशि से सम्बन्धित रसीदें जारी नहीं की गई थी जिससे इसके दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बारे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 2023-24-नाया पंजोड-04-07, दिनांक 27.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि

करते हुए अंकेक्षण को उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

ख ₹0.03 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क कम प्राप्त करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते)नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को देय राजस्व का ग्राम पंचायत द्वारा नियमित रूप से निर्धारण व वसूल किया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत की आय से सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिशिष्ट-15 पर 13 विवाह पंजीकृत किए गए थे परन्तु इन से सम्बन्धित विवाह पंजीकरण शुल्क ₹2600 की कम प्राप्त की गई थी जाकि अनियमित है। इस बारे जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:2023-24-नाया पजोड-04-07 दिनांक 27/01/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए अंकेक्षण को उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिश(पैरा सं0 8.4 क व ख):-

समिति सिफारिश करती है कि विवाह पंजीकरण शुल्क के दुर्विनियोजन व कम वसूली की जांच करके इसकी वसूली की जाये व व सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी को इस सम्बन्ध में उत्तरदायी भी ठहराया जाये।

20. पैरा सं0: 8.5 ₹0.06 लाख की प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते)नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। पंचायत की आय से सम्बन्धित अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार प्राप्त राशियां रोकड़ बही में दर्ज पाई गई परन्तु इनसे सम्बधित अभिलेख जैसे रसीद, रजिस्टर आदि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए:-

क्र0सं0	वाउचर सं/दिनांक	विवरण	राशि (₹)	अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किए गए
1	OWN/2018-19/R/6 21-05-18	आर0टी0आई0शुल्क	440	रसीदें, रजिस्टर आदि

	(कुल प्राप्ति-₹900)			
2	OWN/2018-19/R/8 19-07-18 (कुल प्राप्ति-₹1510)	आर0टी0आई0शुल्क	480	रसीदें,रजिस्टर आदि
3	OWN/2019-20/R/21 21-01-20	आर0टी0आई0शुल्क	1010	रसीदें,रजिस्टर आदि
4	OWN/2019-20/R/21 21-01-20	आर0टी0आई0शुल्क	3800	रसीदें,रजिस्टर आदि
		कुल	**5730**	

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 27/12/2023 जारी करके आवश्यक अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि सम्बन्धित पंचायत सचिव रसीद व रजिस्टर को राज्य लेखा परीक्षा विभाग को प्रस्तुत करने के उपरान्त समिति को भी अवगत करवाये और भविष्य में ऐसी कोताही को न दोहरायें।

21. पैरा सं0: 9 व्यय

पैरा सं0:9.1 ₹26.53 लाख के भुगतान बिल / वाउचर प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा तथा नियम 47 (1) के अनुसार प्रत्येक भुगतान बिल / वाउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना करके 2652649 के भुगतान वाउचर / बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिनका विवरण परिशिष्ट-16 पर दर्ज हैं। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 1. दिनांक 18/12/2023 2023-24-नाया पंजोड-04-01 दिनांक 18/12/2023, 2. दिनाक 26/12/2023 2023-24-नाया पंजोड-04-02 दिनाक 26/12/2023. 4. दिनांक 17/12/2023 5. दिनांक 03/01/2024 तथा 2023-24-नाया पजोड-04-05 दिनाक 16/01/2024 जारी करके सचिव ग्राम पचायत को बार-बार अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह

किया गया परन्तु यह अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की सम्भावित वित्तीय अनियमितता से इनकार नहीं किया जा सकता।

सिफारिश:-

समिति सिफारिश करती है कि जो-जो कर्मचारी/अधिकारी ₹26.53 लाख के बिलों की अदायगियों में शामिल है और यदि इनसे सम्बन्धित भुगतान बिल/बाउचर प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनसे इस पूर्ण राशि की वसूली की जाये व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 24 व अन्य नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाये।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग उक्त राशि के विरूद्ध पूर्ण किए कार्य (यदि कोई कार्य पूर्ण किए गए हो) तो उनकी spot inspection कर प्रत्येक कार्य के utilization certificate तीन माह के भीतर समिति को प्रस्तुत करें।

22. पैरा सं0: 9.2 निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹106.81 लाख का अनियमित व्यय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) से (5) में स्टॉक / स्टोर को क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। उपरोक्त नियम के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप-प्रधान, दो वार्ड सदस्य व सचिव को सम्मिलित करके एक उप-समिति का गठन करके समिति द्वारा ₹1000 से अधिक तथा ₹50000 से कम वस्तु/सामग्री के क्रय के लिए कोटेशन (Quotation) तथा ₹50000 से अधिक मूल्य की वस्तु/सामग्री के क्रय हेतु निविदाएं (Tenders) आमन्त्रित की जानी अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अभिलिखित सूचना तथा निम्नविवरणानुसार ₹**10681293** केस्टॉक / स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि अनियमित

आपत्तिजनक है क्योंकि पंचायत द्वारा वर्णित क्रय में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाकर पंचायत निधि का उचित प्रयोग नहीं कियागया:-

क्र0सं0	विवरण	राशि(₹)
1	वर्ष 2018-19 के दौरान निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कि गया स्टॉक / स्टोर का क्रय {**परिशिष्ट-(क)**}	2413678
2	वर्ष 2019-20 के दौरान निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कि गया स्टॉक /स्टोर का क्रय {**परिशिष्ट-(ख)**}	970629
3	वर्ष 2020-21 के दौरान निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कि गया स्टॉक /स्टोर का क्रय{**परिशिष्ट-(ग)**}	2728404
4	वर्ष 2021-22 के दौरान निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कि गया स्टॉक /स्टोर का क्रय{**परिशिष्ट-(घ)**}	3861165
5	वर्ष 2022-23 के दौरान निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना कि गया स्टॉक /स्टोर का क्रय{**परिशिष्ट-(ङ)**}	707417
	कुल	**10681293**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 1. दिनांक 18/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-01, दिनाक 18/12/2023, 2. दिनांक 26/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-02, दिनांक 26/12/2023, 4, दिनाक 17/12/2023, 5, दिनाक 03/01/2024, 6, दिनांक 06/01/2024, 2023-24-नाया पंजोड-04-03, दिनांक 08/01/2024, 2023-24-नाया पंजोड-04-05, दिनांक 16/01/2024, 7, दिनांक 19/01/2024 तथा 2023-24-नाया पजोड-04-06, दिनांक 23/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को अवगत करवाया कि यह निविदाएं एकत्रित तो की गई थी परन्तु यह निविदाए मिल नहीं रही है। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है तथा इसका रख-रखाय उचित प्रकार से कार्यालय में किया जाना अपेक्षित है। अतः किसी भी प्रकार की सम्भावित वित्तीय अनियमितता से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि लेखा आपत्ति में दर्शाई गई प्रविष्टियों/व्ययों की जांच की जाए और जांच में यदि वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी पर कार्रवाई कर समिति को अवगत करवाया जाये।

23. पैरा संः 9.3 ₹88.62 लाख की क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अन्तर्गत स्टॉक / स्टोर के क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं। उक्त नियम के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की मात्रा, गुणवता की जाँच करने के उपरान्त अनिवार्य रूप से फार्म 25 से 28 के अनुरूप स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है तथा यह भी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है कि स्टॉक / सामग्री को सही अवस्था में प्राप्त किया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹**8861561**के स्टॉक / स्टोर की सामग्री/ मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया थाः-

क्र0सं0	विवरण	राशि(₹)
1	वर्ष 2018-19 के दौरान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग लाई गई सामग्री {**परिशिष्ट-18(क)**}	863883
2	वर्ष 2019-20 के दौरान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग लाई गई सामग्री{**परिशिष्ट-18(ख)**}	963644
3	वर्ष 2020-21 के दौरान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग लाई गई सामग्री {**परिशिष्ट-18(ग)**}	1576845
4	वर्ष 2021-22 के दौरान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग लाई गई सामग्री {**परिशिष्ट-18(घ)**}	5213354
5	वर्ष 2022-23 के दौरान स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग लाई	243835

	गई सामग्री{परिशिष्ट-18(ङ)}	
	कुल	8861561

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 1, दिनांक 18/12/2023, 2023-24-नाया पजोड-04-01, दिनांक 18/12/2023, 2, दिनांक 26/12/2023, 2023-24-नाया पजोड-04-02,दिनांक 26/12/2023, 4, दिनांक 17/12/2023, 5, दिनांक 03/01/2024, 6, दिनांक 06/01/2024, 2023-24-नाया पजोड-04-03 दिनांक 08/01/2024, 2023-24-नाया पजोड-04-05 दिनांक 16/01/2024. 7, दिनांक 19/01/2024 तथा 2023-24-नाया पजोड-04-06, दिनांक 23/01/2024 द्वारा सम्बन्धित रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने हेतु उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा अंकेक्षण को भविष्य में यह प्रविष्टियां प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां सामग्री के प्राप्ति पर शीघ्र की जानी अपेक्षित थी।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि मामले की जांच कर समिति को अवगत करवाया जाए कि इन सामग्रियों की आपूर्ति हुई भी या नहीं ।यदि हुई थी, तो स्टॉक रजिस्टर में दर्ज क्यों नहीं की गई। क्या स्टॉक रजिस्टर का सम्बन्धित पंचायत निरीक्षक / उप निरीक्षक द्वारा इस अवधि में निरीक्षण किया गया। यदि हां, तो निरीक्षण के दौरान इस बात को क्यों नहीं उजागर किया गया। वस्तुस्थिति से अवगत करवाएं। यदि पंचायत निरीक्षक एवं पंचायत सहायक द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया तो उनके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाए तथा कृत्त कार्रवाई से समिति को अवगत करवाएं।

साथ ही समिति यह भी सिफारिश करती है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(वित्त, बजट, लेखे,सपरीक्षा, संकर्म, करधान और भत्ते)नियम 2002 के नियम 67(3) से (5) का अक्षरशः पालन हेतु सभी पंचायतों को निर्देश जारी किए जाए तथा इस सम्बन्ध में जिनके द्वारा अनियमितताएं की जाती है उनके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए।

24. पैरा सं0: 9.4 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹22.27 लाख का अनियमित भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि परिशिष्ट-19 पर वर्णित ₹2226636 के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नहीं किए गए थे जोकिअनियमित व आपत्तिजनक है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-01, दिनाक 18/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-02, दिनांक 26/12/2023 तथा 2023-24-नाया पंजोड-04-05, दिनांक 16/01/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिश:-

लेखा आपत्ति के अनुसार ₹22.27 लाख का भुगतान बिना पारित आदेशों पे ऑर्डर के कर दिया गया जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त,बजट,लेखा, संपरीक्षा,संकर्म,कराधान,और भत्ते नियम 2002 के नियम 49 और हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 24 इत्यादि का भी उल्लंघन है।

अतः समिति सिफारिश करती है कि प्रधान एवं सचिव के अतिरिक्त जो भी कर्मचारी/अधिकारी इन अदायगियों के लिए उत्तरदायी है उनसे इस राशि की वसूली(with penal interest) की जाए।इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से समिति को तीन माह के भीतर अवगत करवाया जाए।

25. पैरा सं0: 9.5 सामान्य बैठक में गणपूर्ति (Quorum) के बिना प्रस्ताव पारित करके ₹4.70 लाख का भुगतान

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 9 (2) के अनुसार पंचायत की बैठक हेतु ग्राम पंचायत के सदस्यों की आधी संख्या के बराबर गणपूर्ति (Quorum) होगी। इसके अतिरिक्त हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 31 (2) के अनुसार सभी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और वे उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित किए जाएंगे। समान मत होने पर सभा की बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि मासिक बैठकों में गणपूर्ति (Quorum) के बिना ही निम्न वर्णित प्रस्तावों को पारित करके ₹ 470455 का भुगतान कर दिया गया था जोकि अनियमित है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-20 पर दर्ज है जिसका समिति ने अवलोकन कर लिया है:-

बैठक की दिनांक/कार्यवाही रजिस्टर पृ0सं0	ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या	उपस्थित सदस्य	प्रस्ताव सं0	प्रस्ताव का विवरण	राशि(₹)
30-09-20/169	7 (प्रधान, उपप्रधान व 5 वार्ड सदस्य)	3(श्री लज्जा राम, प्रधान,श्री दया राम, वार्ड सदस्य व श्री प्रकाश चन्द, वार्ड सदस्य)	1	बैठक की कार्यवाही शुरू	-
			2	ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्यों के लिए निविदाएं पारित करने बारे। (निविदाकारों के नाम अंकित नहीं है।)	-
			3	आर0टी0जी0एस के माध्यम से बिलों का भुकतान करने बारे	108676
			4	नाया पंजोड में सिंचाई टैंक बनवाने का विचार	-

			5	आर0टी0जी0एस के माध्यम से मजदूरी का भुकतान करने बारे	16000
			6	काफेनू कैंची से जीरो आर0डी0 से 300 मी के मध्य पी/वाल बनवाने बारे	-
			7	मनरेगा के बिलों का भुकतान करने बारे	122224
22-12-20/ 18		2 (श्री लज्जा राम,प्रधान व श्री प्रकाश चन्द वार्ड सदस्य)	1	बैठक की कार्यवाही शुरू	-
			2	अंकित नहीं	-
			3	आर0टी0जी0एस के माध्यम से बिलों का भुकतान करने बारे	149995
			4	आर0टी0जी0एस के माध्यम से भुक्तान करने बारे	73560
			5	आर/वॉल दर्शनलाल व पंचराम पंजोड के बारे चर्चा	-
			6	14 व अनअपोज के अन्तर्गत कार्यों की अंतिम अदायगी बारे विचार	-

कुल भुगतान		470455

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-09, दिनांक 30/01/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का अश्वासन दिया।

सिफारिशः-

लेखा आपत्ति में स्पष्ट हो रहा है कि नियमों की पूर्ण अनदेखी करके अदायगियां की गई है। इसमें बी0डी0ओ0,लेखापाल,सचिव,प्रधान,पंचायत निरीक्षक इत्यादि सभी उत्तरदायी है।

समिति तत्कालीन उत्तरदायी अधिकारियों,कर्मचारियों व पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करती है।

26. पैरा सं0: 9.6 **छाया प्रति (Xerox Copy) बिलों के आधार पर ₹0.69 लाख का भुगतान**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1) के अनुसार पंचायत का प्रत्येक भुगतान बिल / वाउचर द्वारा समर्थित किया जाएगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाए गए ₹68800 का भुगतान छाया प्रति (Xerox Copy) बिलों के आधार पर किया गया था, जो कि अनुचित है क्योंकि सार्वजनिक निधि से प्रत्येक भुगतान मूल बिल पर ही किया जाना प्रावधित है:-

क्र0सं0	योजना	कार्य	वाउचर सं0/माह	बिल सं0	आपूर्ति कर्त्ता	मद	भुगतान राशि(₹)
1	स्वः स्रोत/सामान्य निधि	Pacci Gali Dawa	OWN/2020-21/P/30	PKL-2111615/	Impact Enterprises Ltd.	80 मी0मी0ग्रे ईन्टरलॉक	16000

		Dhala to Dewa	19-03-21	09-11-20		टाईलस 1000	
						60 मी0मी0 ग्रे ईन्टरलॉक टाईलस 2200	26400
						60 मी0मी0रेड ईन्टरलॉक टाईलस 2200	26400
	कुल						**68800**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-02. दिनांक 26/12/2023 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आकडों की पुष्टि करते हुए भविष्य में यह त्रुटि न दोहराने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि संलिप्त राशि को, बिल पास करने वाले कर्मचारी/अधिकारी से वसूल किया जाए।

27. पैरा सं0: 9.7 ₹0.20 लाख के हस्तांतरण से सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न करनाः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाउचर सं० FFC/2020-21/P/13, दिनांक 29/07/2020 तथा वाउचर सं० FFC/2018-19/P/8, दिनांक 02/02/2019 द्वारा 14 वां वित्त आयोग खाते से ₹11760 व ₹8717 (कुल ₹20477)

की राशि जिला पंचायत अधिकारी, नाहन को हस्तांतरित की गई थी जिससे सम्बन्धित कार्यालय आदेश, पारित आदेश (पे आर्डर) आदि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये जिससे हस्तांतरण की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-02, दिनांक 26/12/2023 तथा 04 दिनांक 27/12/2023 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि इस हस्तांतरण की जांच की जाये क्या ये हस्तांतरण किये जा सकते थे और ये किसके आदेश पर किये गये। साथ ही समिति को यह भी अवगत करवाया जाये कि जिला पंचायत अधिकारी नाहन ने इन देयराशियों का क्या-2 उपयोग किया यदि यह हस्तांतरण गलत है तो दोनों पक्षों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

28. पैरा सं0: 9.8 स्वः स्त्रोत से प्राप्त ₹0.22 लाख की आय को सीधे व्यय करनाः-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 (3) के प्रावधानानुसार पंचायत की सभी प्राप्तियों को बैंक खाते में जमा किया जाना तथा सभी प्रकार के भुगतानों को खाते से आहरित करके व्यय किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत निधि से वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान ₹**21595** प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना ही सीधे व्यय किया गया था जोकि अनियमित है

क्र.सं.	रोकड़ में प्राप्त आय	रोकड़ में प्राप्त आय का सीधा व्यय	राशि(₹)
1	प्रमाण पत्र फीस व विवाह पंजीकरण शुल्क (आय वाउचर OWN/2020-21/R/23	कार्यालय व्यय (व्यय वाउचर OWN/2020-21/P/32 20-01-21)	3220

	01-01-21		
2	गृहकर(आय वाउचर OWN/2020-21/R/24 02-02-21)	कार्यालय व्यय- जलपान (व्यय वाउचर OWN/2020-21/P/33 20-02-21)	10800
3	गृहकर व विवाह पंजीकरण शुल्क (आय वाउचर OWN/2022-23/R/36 31-03-23)	कार्यालय व्यय- जलपान (व्यय वाउचर OWN/2022-23/P/61 31-03-23)	7575
			21595

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 3, दिनांक 27/12/2023 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए भविष्य में यह त्रुटि न दोहराने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः

समिति सिफारिश करती है कि जांच की जाए कि यह राशि उचित उद्देश्य हेतु ही खर्च की गई या नहीं।इसके अतिरिक्त समिति भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की निर्देश भी देती है। समिति को कृत्त कार्रवाई से अवगत करवाया जाये।

29. पैरा सं0: 9.9 जी०एस०टी की गणना में त्रुटि के कारण ₹0.11 लाख का अधिक भुगतानः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा दावों के भुगतान से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-21** पर दर्ज विवरणानुसार विभिन्न कार्यों हेतु किए गए भुगतानों के बिलों में जी०एस०टी की गणना में त्रुटि कर **₹11287** का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-01 दिनांक

18/12/2023 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अधिक भुगतान राशि की वसूली करने का आश्वासन दिया।

सिफारिश:

समिति सिफारिश करती है कि जी0एस0टी0 के ₹0.11 लाख के अधिक भुगतान के मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाकर समायोजित करवाया जाए व कृत कार्रवाई से समिति व राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

30. 9.10पैरा सं0: पंचायत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय भुगतानः-

(क) वार्ड सदस्यों की मासिक बैठक में उपस्थिति के बिना ₹0.08 लाख का अनियमित भुगतानः-

सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के पत्र सं0 PCH-HA(3) 20/95-III-40828-978, दिनांक 06/07/2019 के अनुसार दिनांक 01.09.2019 से पंचायत के वार्ड सदस्यों को एक माह में प्रत्येक बैठक के लिये **₹250** मानदेय देय होगा जोकि अधिकतम दो बैठकों के लिए मान्य होगा। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वार्ड सदस्यों के पंचायत बैठक में अनुपस्थित रहने के बावजूद भी पंचायत निधि से मानदेय के रूप में **₹7730** का अनियमित भुगतान किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट-22** पर दर्ज है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01, दिनांक 18/12/2023 तथा 2023-24-नाया पजोड-04-08, दिनांक 29/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अधिक भुगतान राशि की वसूली करने का आश्वासन दिया तथा अन्य प्रकरणों में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

(ख) पंचायत चौकीदारों को ₹0.12 लाख के भुगतान बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट न करनाः-

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख /

सूचना प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। ग्राम पंचायत के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित व्यय वाउचरों द्वारा पंचायत चौकीदारों को ₹ 11810 का भुगतान किया गया था परन्तु इस से सम्बन्धित निम्न सारणी में वर्णित अंकेक्षण टिप्पणियों बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की गई जिस कारण उक्त भुगतान की पूर्ण सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी:-

क्र.सं.	योजना का नाम	कर्मचारी का नाम	वाउचर सं0/ दिनांक	माह	राशि (₹)	अंकेक्षण टिप्पणी
1	सामान्य निधि/स्वः स्रोत	श्री दयाराम, चौकीदार	OWN/2019-20/P/2 8-04-2019	-	1920	कच्ची रसीद पर एरियर सहित भुगतान किया गया है जबकि किस माह का भुगतान किया गया है नहीं दर्शाया गया था।
2	सामान्य निधि/स्वः स्रोत	श्री देवीराम, चौकीदार	OWN/2019-20/P/11 18-07-2019	6/19	6100	माह 06/19 के साथ दिए गए एरियर का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।
3	सामान्य निधि/स्वः स्रोत	श्री दयाराम, चौकीदार	OWN/2019-20/P/24 15-02-2020	1/20	50	₹4800/माह की जगह ₹4850/ माह का भुगतान किया गया था।
4	सामान्य निधि/स्वः स्रोत	श्री दयाराम, चौकीदार	OWN/2019-20/P/26 31-03-2020	2/20 To 3/20	100	₹4800/माह की जगह ₹4850/ माह का भुगतान किया गया था।
5	सामान्य निधि/स्वः स्रोत	श्री कपील देव, चौकीदार	OWN/2021-22/P/17 25-10-2021	8/20	3640	इस भुगतान का कारण वाउचर पर अंकित नहीं था।

	कुल	11810	

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01 दिनांक 18/12/2023 तथा 2023-24-नाया पंजोड-04-08 दिनांक 29/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अधिक भुगतान राशिकी वसूली करने का आश्वासन दिया तथा अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

(ख) पंचायत उप-प्रधान को ₹0.01 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के पत्र सं० PCH-HA(3) 20/95-1II-33069-33210 दिनांक 02/05/2022 में पंचायत के पदाधिकारियों को प्रतिमाह मानदेय दरें निर्धारित की गई है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत उप प्रधान को मानदेय के रूप में ₹1000 का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया: -

क्र0सं0	योजना का नाम	वाउचर सं0/दिनांक	माह	नाम	प्रति माह देय भुगतान (₹)	किया गया भुगतान (₹)	अपेक्षित भुगतान (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1	सामान्य निधि/ स्वः स्रोत	OWN/2021-22/P/15 2-9-2021	07/21 व 08/21 (2 माह)	श्री बारू राम, उप-प्रधान	3000	7000	6000	1000

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01 दिनांक 18/12/2023 तथा 2023-24-नाया पंजोड-04-08 दिनांक 29/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अधिक भुगतान राशिकी वसूली करने का आश्वासन दिया तथा अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

(घ) ₹7.36 लाख के मानदेय के भुगतान की रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करना:-

ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2023 तक पंचायत पदाधिकारियों व कर्मचारियों को भुगतान किये गये ₹735630 के मानदेय से सम्बन्धित मानदेय रजिस्टर में प्रविष्टियों नहीं कीगई थी जिसका विवरण **परिशिष्ट-23** पर दिया गया है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01 दिनांक 18/12/2023 तथा 2023-24-नाया पंजोड-04-08, दिनांक 29/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिश(पैरा सं0 9.10 क, ख,ग व घ):-

1.समिति सिफारिश करती है कि लेखा आपत्ति में इंगित किये चारों भुगतानों 9.10 क, ख, ग व घ की जांच की जाए। यदि भुगतान, गलत किये गये हैं तो उनकी वसूली सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई से समिति को अवगत करवाया जाए।

2.समिति का मत है कि पांच वर्षों के दौरान मानदेय के भुगतान की रजिस्टर में प्रविष्टियां न करना एक गम्भीर विषय है। समिति हैरानी व्यक्त करती है कि तत्कालीन बी0डी0ओ0, पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक/सचिव पांच वर्षों तक नियमों की अनदेखी करते हैं जो किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है अत समिति सिफारिशः करती है कि सम्बन्धित बी0डी0ओ0, पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक/सचिव की जिम्मेवारी तय करके उन पर कार्रवाई की जाए।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस सम्बन्ध में सभी पंचायतों को निर्देश जारी किए जाएं तथा जारी निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाए।

31.पैरा सं0: 9.11 ग्राम पंचायत बैठकों में गणों की उपस्थिति सुनिश्चित किये बिना ₹0.53 लाख का व्ययः-

सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के पत्र सं० PCH-HA(5)C(15)Hospitality/GP दिनांक 01/02/2019 के अनुसार ग्राम पंचायत बैठकों में जलपान पर प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹50 का व्यय किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ग्राम पंचायत बैठकों में जलपान पर किए गए **₹53120**के भुगतानों से सम्बन्धित उपस्थिति की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी क्योंकि इन बिलों पर यह अंकित नहीं था कि यह किस अवधि/दिनांक से सम्बन्धित थे :-

क्रं0 सं0	योजना	वाउचर सं0/ दिनांक	बिल सं0/दिनांक	आपूर्तिकर्त्ता	सामग्री	भुगतान राशि
1	स्वः स्रोत/सामान्य निधि	OWN/2019-20/P/9 10-06-2019	203/30-1-2020	-	चावल, चीनी,चाय नमकीन एवं मिठाई	7500
2	स्वः स्रोत/सामान्य निधि	OWN/2019-20/P/24 15-02-2020	206/09-20	Sh. Bansi Lal Sharma	6 महीने के बिल का भुगतान	7230
3	स्वः स्रोत/सामान्य निधि	OWN/2020-21/P/16 01-10-20	-	Virsanta sweet shop	अंकित नहीं	10500
4	स्वः स्रोत/सामान्य निधि	OWN/2021-22/P/7 30-04-2021	-	Not mentioned	जलपान व्यय	8500
5	स्वः स्रोत/सामान्य निधि	OWN/2021=22/P/14 28-02-2021	-	Sh. Dalip Singh	जलपान व्यय	5300
6	स्वः स्रोत/सामान्य निधि	OWN/2021-22/P/17 25-10-2021	-	Sh. Tapendra Singh	जलपान व्यय	6000

7	स्वः स्त्रोत/सामान्य निधि	OWN/2021-22/P/27 30-03-2023	-	Sh. Kapil Dev	जलपान व्यय	890
8	स्वः स्त्रोत/सामान्य निधि	OWN/2021-22/P/27 30-03-2023	73/8-3-2023	M/s Tomar Sweet Shop, Shillai	जलपान व्यय	800
9	स्वः स्त्रोत/सामान्य निधि	OWN/2022-23/P/31 29-09-2022	287/03-04-22	Virsanta Sweet Shop	250 चाय व बेसन	5000
10			289/ 08-04-22		70 चाय व 70 बेसन	1400
	कुल					**53120**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 1,दिनांक 18/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-01 दिनांक 18/12/2023, 2, दिनांक 26/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-02, दिनांक 26/12/2023, 4, दिनांक 17/12/2023 द्वारा सचिव से उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को भविष्य में यह त्रुटि न दोहराने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि यदि तत्कालीन कर्मचारी/अधिकारी/ पदाधिकारी इस व्यय के सम्बन्धित समुचित दस्तावेज राज्य लेखा परीक्षा विभाग को तीन माह के भीतर ऑडिट को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह राशि उनसे बराबर मात्रा में वसूल (with penal interest)की जाए तथा कृत्त कार्रवाई से समिति को अवगत करवाएं।

32. पैरा सं0: 9.12 हि०प्र०, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर विज्ञापन छपवाने के कारण राजकीय कोष को ₹0.01 लाख राजस्व की हानि :-

हि०प्र० सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के पत्र सं० 15-1/2006-pub-14263-92, दिनांक 30.08.2006 के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड, कार्पोरेशन द्वारा दिए जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन हि०प्र० सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाएगें तथा डी०ए०बी०पी० दरों पर भुगतान राशि से 15% कमीशन की कटौती करके हि०प्र० सरकार के आय शीर्षक 0220-Information & Publicity, 60-Others, 300-Other Receipt में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु निम्न प्रकरणों में न तो विज्ञापन लोक संपर्क विभाग के माध्यम से किए गये थे तथा न ही डी०ऐ०वी०पी० दरों की प्रति अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त भुगतान बिलों से 15% कमीशन की कटौती भी नहीं की गई जिस कारण राजकीय कोष को ₹**1314** की हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र0सं0	विवरण	वाउचर सं0/दिनांक	बिल सं0/दिनांक	आपूर्तिकर्त्ता/ विज्ञापन का क्षेत्रफल	दर	भुगतान राशि	आपेक्षित कमीशन कटौती
1	विज्ञापन प्रकाशन	OWN/2022-23/P/4 05-05-22	22/D/001214 18-04-22	दिव्य हिमाचल 96 वर्ग से0मी0	52.21+GST	5263	789
2	स्वतंत्र दिवस विज्ञापन	OWN/2022-23/P/40 16-08-22	000134/ 16-08-22	अखंड भारत/ आनलाईन	3500 (Special Price	3500	525
						कुल	**1314**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-01, दिनांक 18/12/2023 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिश:-

समिति सिफारिश करती है कि अपेक्षित कमीशन की वसूली कर समिति को अवगत करवाया जाये व भविष्य में हिमाचल प्रदेश सूचना व लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से ही विज्ञापन छपवाये जायें।

33. पैरा सं0:10 निर्माण कार्य:-

पैरा सं0:10.1 ₹153.69 लाख के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा । परन्तु व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा नियम 94,95 व 101 के अन्तर्गत अपेक्षित अभिलेख जैसे निर्माण कार्य के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिस के कारण **परिशिष्ट-24 "क" व "ख"** पर वर्णित निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु किए गए ₹15369030 के भुगतान को अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैं।

विवरण	राशि (₹)
विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु किए गए भुगतान से सम्बन्धित विभिन्न अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किए गए {**परिशिष्ट-24 (क)**}	14508822
मनरेगा में किए गए भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं जो प्रस्तुत नहीं की गई{**परिशिष्ट-24(ख)**}	860208
कुल	**15369030**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-03 दिनांक 08/01/2024, 2023-24-नाया पंजोड-04-04, दिनांक 10/01/2024, 6, दिनांक 06/06/24, 7, दिनांक 19/01/2024 तथा 2023-24-नाया पंजोड-04-06, दिनांक 23/01/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया जोकि अंकेक्षण की समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित है।

सिफारिशः-

लेखा आपत्ति अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होता है और ₹1,53,69,030 की राशि का भुगतान करने को सत्यापित करने वाले दस्तावेज़ जैसे निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं इत्यादि प्रस्तुत न करना राशि के दुर्विनियोजन की ओर ईशारा करता है।

अतः समिति सिफारिश करती है कि यदि सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी उल्लेखित दस्तावेजों को राज्य लेखा परीक्षा को तीन माह के भीतरप्रस्तुत करके सत्यापित नहीं करवाते है तो तत्कालीन बी0डी0ओ0,लेखापाल,पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक, सचिव, पंचायत पदाधिकारियों से रिकवरी (with penal interest)करने के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करें व कृत कार्रवाई से समिति को भी अवगत करवायें।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि उपरोक्त ₹1.53 करोड़ राशि के विरूद्ध किये कामों की Spot inspection करें ताकि व्यय की राशि की पुष्टि हो सके। साथ ही समिति को उक्त व्यय के विरूद्ध किए पूर्ण कार्यों के UC's समिति को तीन माह के भीतर उपलब्ध करवाएं।

34.पैरा सं0: 10.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना मस्ट्रोल द्वारा ₹135.06लाख का अनियमित भुगतानः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा श्रमिकों को भुगतान हेतु

निर्धारित मस्ट्रोल इत्यादि का उपयोग करने की औपचारिकताएं प्रावधित की गई है। परन्तु अधिकतर प्रकरणों में विशेष अंकेक्षण अवधि 04/2018 से 03/2023 में अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की गई थी:-

>मस्ट्रोल में जिला पंचायत अधिकारी की मोहर अंकित नहीं थी।

>मस्ट्रोल में कटिंग व ओवरराइटिंग को सत्यापित नहीं किया गया था।

>मस्ट्रोल जारी रजिस्टर (Mustrol Issue Register) में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी।

>मस्ट्रोल को कार्य समिति से प्रमाणित नहीं करवाया गया था।

>भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना किया गया था।

परिणामस्वरूप पंचायत द्वारा उक्त औपचारिकताओं के बिना ही मस्ट्रोल द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 1,35,05,600 का भुगतान किया गया जोकि अनियमित है।

विवरण	राशि(₹)
अवधि 04/18 से 03/19 के दौरान मनरेगा के अतिरिक्त अन्य मदों के अन्तर्गत किए गए भुगतान {**परिशिष्ट-25 (क)**}	559611
अवधि 04/18 से 03/19 के दौरान मनरेगा के अतिरिक्त अन्य मदों के अन्तर्गत किए गए भुगतान{**परिशिष्ट-25(ख)**}	3025380
अवधि 04/19 से 03/20 के दौरान मनरेगा के अतिरिक्त अन्य मदों के अन्तर्गत किए गए भुगतान{**परिशिष्ट-25(ग)**}	393435
अवधि के अन्तर्गत 04/19 से 03/20 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत किए गए भुगतान {**परिशिष्ट-(घ)**}	1048395
अवधि 04/20 से 03/21 के दौरान मनरेगा के अतिरिक्त अन्य मदों के अन्तर्गत किए गए भुगतान{**परिशिष्ट-25(ङ)**}	708720
अवधि 04/20 से 03/21 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत किए गए भुगतान {**परिशिष्ट-25(च)**}	1397132
अवधि 04/21 से 03/22 के दौरान मनरेगा के अतिरिक्त अन्य मदों के अन्तर्गत	1181113

किए गए भुगतान {**परिशिष्ट-25(छ)**}	
अवधि 04/21 से 03/22 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत किए गए भुगतान {**परिशिष्ट-25(ज)**}	2204312
अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान मनरेगा के अतिरिक्त अन्य मदों के अन्तर्गत किए गए भुगतान{**परिशिष्ट-25(झ)**}	1161217
अवधि 04/22 से 03/23 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत किए गए भुगतान {**परिशिष्ट-25(ञ)**}	1826285
कुल	**13505600**

इस बारे अंकेक्षणज्ञापन संख्या:1, दिनांक 18/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-01, दिनांक 18/12/2023, 2,दिनांक 26/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-02, दिनांक 26/12/2023, 4,दिनांक 17/12/2023, 5, दिनांक 03/01/2024, 6,दिनांक 06/01/2024, 2023-24-नाया पंजोड-04-03,दिनांक 08/01/2024, 2023-24-नाया पंजोड-04-05, दिनांक 16/01/2024, 7,दिनांक 19/01/2024 तथा 2023-24-नाया पजोड-04-06, दिनांक 23/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त मस्ट्रोल जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त किए गए है तथा अन्य अनियमितताओं को भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा।

सिफारिश:-

लेखा आपत्ति में दर्शाई गई औपचारिकताएं जिन-जिन कर्मचारियों/ अधिकारियों/पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण नहीं की गई है और जिन-जिन अधिकारियों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों ने इनकी, निरीक्षण, निगरानी व अदायगी के समय जांच करनी थी,समिति उन सभी अधिकारियों /कर्मचारियों/पदाधिकारियोंके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करती है। साथ ही समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि उल्लेखित अदायगियों में दुर्विनियोजन पाया जाता है तो उपरोक्त उल्लेखित

से उसकी वसूली (with penal interest)सुनिश्चित की जाये व समिति को कृत कार्रवाई से अवगत करवाया जाए।

35.पैरा सं0: 10.3 मनरेगा के अन्तर्गत 60:40 के अनुपात में व्यय न करके ₹27.70 लाख का मजदूरी पर कम व सामग्री पर अधिक व्यय

मनरेगा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जारी परिचालन दिशा-निर्देश, 2013 के पैरा 7.4.1 के अनुसार ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों पर कुल व्यय का 60 प्रतिशत मजदूरी पर तथा 40 प्रतिशत सामग्री पर व्यय किया जाना वांछित है। परन्तु ग्राम पंचायत के विशेष अंकेक्षण अवधि 04/2018 से 03/2023 में मनरेगा से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेख (**परिशिष्ट-26 क व ख**) का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन न करके ₹27.70 लाख का मजदूरी पर कम व सामग्री पर अधिक व्यय किया गया जोकि अनियमित है: -

क्र0सं0	वित्तिय वर्ष	मनरेगा पर कुल व्यय(₹ लाख में)	मजदूरी पर वास्तविक व्यय (₹लाख में)	मजदूरी पर अपेक्षित 60% व्यय(₹ लाख में)	मजदूरी पर कम व्यय (₹ लाख में)	सामग्री पर वास्तविक व्यय (₹लाख में)	सामग्री पर अपेक्षित 40% व्यय (₹लाख में)	सामग्री पर अधिक व्यय (₹ लाख में)
1	2021-22	58.77	20.99	35.26	14.27	37.78	23.51	14.27
2	2022-23	49.03	15.99	29.42	13.43	33.04	19.61	13.43
		107.80	**36.98**	**64.68**	**27.70**	**70.82**	**43.12**	**27.70**

सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9,दिनांक 30/01/2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने व तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि आपत्तिजनक है।

सिफारिश:-

लेखा आपत्ति के मध्यनज़र समिति सिफारिश करती है कि ₹27.70 लाख की सामग्री पर किये गये अधिक व्यय को इसकी अदायगी में सम्मिलित सभी कर्मचारियों,अधिकारियों व पदाधिकारियों (ऊपर से नीचे तक)से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाया जाये व कृत कार्रवाई से समिति को भी अवगत करवायें।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रदेश में अन्य स्थानों पर इस प्रकार की पुनरावृति न दोहराएं। इस हेतु निर्देश जारी करें और उन निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित हो।

36. पैरा सं0: 10.4 मनरेगा कार्य में ₹20.84 लाख की निर्माण सामग्री का उपयोग न करके धन का सम्भावित दुर्विनियोजन:-

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 66 से 73 व 93 से 107 में स्टोर(सामान) के क्रय से सम्बन्धित व निर्माण कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित औपचारिकताएं प्रावधित हैं। ग्राम पंचायत के विशेष अंकेक्षण अवधि 04/ 2018 से 03/2023 के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्य Development of link road: Main road to Miganwadi, Digwali, Mojadi हेतु निम्न विवरणानुसार ₹2083738 की निर्माण सामग्री जैसे सीमेन्ट/ रेत/ बजरी का क्रय किया गया। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियमों की अवहेलना की गई थी जिसके कारण निम्न वर्णित अनियमितताएं पाई गई:-

>आवश्यकता को सुनिश्चित किये बिना ही अत्याधिक निर्माण सामग्री का क्रय किया गया था।

>निर्माण सामग्री का अंकेक्षण अवधि दिनांक 31.03.2023 तक लगभग 1 वर्ष 9 माह उपरान्त भी उपयोग नहीं किया गया था जिससे वर्तमान में इसकी गुणवत्ता संदेहास्पद है।

>सामग्री का क्रय करने से पूर्व टेन्डर/निविदाएं आमन्त्रित नहीं की गई थी।

>स्टोर (सामान) की स्टॉक प्रविष्टियों नहीं की गई थी।

>निर्माण कार्य की रिकार्ड प्रविष्टियों व खपत से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई।

>अंकेक्षण अवधि 31.03.2023 तक निर्माण कार्य हेतु मस्ट्रोल पर श्रमिकों को निम्न विवरणानुसार ₹294821 का भुगतान किया जा चुका था परन्तु निर्माण सामग्री के उपयोग से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत निर्माण कार्य में ₹2083738 की राशि के सम्भावित दुर्विनियोजन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनांक 30.01.2024 द्वारा सचिव को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व तथ्यों सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है-

(क) योजना- मनरेगा

कार्य का नामः- Devlopment Link Road Main Road to Mignwadi, Digwali, Mojadi

वाउचर सं0/दिनांक	बिल सं0/ दिनांक	आपूतिकर्त्ता	सामग्री	भुगतान राशि(₹)
38395	12/06/2021	HPSCSC Ltd.	Cement 200 Bags	67072
38396	12/06/2021	HPSCSC Ltd.	Cement 200 Bags	67072
38397	12/06/2021	HPSCSC Ltd.	Cement Sand 50	134144

			400 Bags	
522	22/06/2021	Minganwan Transport Company	Sand 50 M^3	147000
523	22/06/2021	Minganwan Transport Company	Sand 50 M^3	147000
524	23/06/2021	Minganwan Transport Company	Sand 50 M^3	147000
525	23/06/2021	Minganwan Transport Company	Sand 50 M^3	147000
526	24/06/2021	Minganwan Transport Company	Sand 50 M^3	147000
527	23/06/2021	Minganwan Transport Company	Sand 50 M^3	147000
528	24/06/2021	Minganwan Transport Company	20mm Rodi 70 M^3	183750
529	25/06/2021	Minganwan Transport Company	40mm Rodi 85M^3	187425
530	25/06/2021	Minganwan Transport Company		187425
531	26/06/2021	Minganwan Transport Company	40mm Rodi 85M^3	187425
532	27/06/2021	Minganwan Transport Company	40mm Rodi 85M^3	187425
			कुल भुगतान	**2083738**

ख दिनांक 31/03/2023 तक निर्माण कार्य में मस्ट्रोल पर श्रमिकों को मज़दूरी के भुगतान का विवरणः-

वित्तीय वर्ष	मस्ट्रोल संख्या	भुगतान राशि(₹)
2021-22	694	12180
2021-22	1698	45675
2021-22	2210	39382
2022-23	697/25-05-2022	25440
2022-23	698/25-05-2022	22260
2022-23	698/26-06-2022	3180
2022-23	2311/19-08-2022	22260
2022-23	2312/19-08-2022	9540
2022-23	2729/21-09-2022	26712
2022-23	2729/14-10-2022	2968
2022-23	3412/20-10-2022	22896
2022-23	3412/20-12-2022	2968
2022-23	3413/20-10-2022	14840
2022-23	4020/20-01-2023	29680
2022-23	4021/20-01-2023	11872
2022-23	4021/29-03-2023	2968
	कुल	**294821**

समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) को राज्य लेखा परीक्षा विभाग के विशेष अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन 04/2018 से

03/2023 के पैरा संख्या 10.4 में अब तक की गई कार्रवाई से समिति को अवगत करवाने को कहा।

मौखिक साक्ष्य के दौरान सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) ने समिति को सूचित किया कि इस अनियमितता में जितनें भी लोग संलिप्त थे चाहे वे प्रधान हो,चाहे ग्राम रोजगार सेवक हो या फिर पंचायत सचिव हो, सभी के खिलाफ जांच बिठा दी गई है। प्रधान को सस्पैंड कर दिया गया है, ग्राम रोजगार सेवक को तीन नोटिस भेजे जा चुके हैं, क्योंकि ग्राम रोजगार सेवक नियमित कर्मचारी नहीं होता इसलिए उसके विरूद्व कार्रवाई आसान है तथा पंचायत सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है अगर वह जवाब नहीं देता तो सुओमोटो उसको चार्जशीट कर सी0सी0एस0 रूल्ज के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

समिति ने जानना चाहा कि वर्ष 2023 में ऑडिट हेतु समिति के पत्र के उपरान्त ही विभाग ने कार्रवाई क्यों शुरू की।

इसके उत्तर में विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि विधान सभा सचिवालय से पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही ये सब कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी और अकाउंटेंट है। वह ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत आते हैं उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन सी0सी0एस0 (सी0सी0ए0) कंडक्ट रूल्ज के अन्तर्गत उनके खिलाफ जांच बिठाई गई है और इन रूल्ज में जांच काफी लंबे समय तक चलती है।

समिति ने सचिव को बताया कि नेक्सस खण्ड विकास अधिकारी से निचले स्तर तक व्याप्त था साथ ही समिति ने जानना चाहा कि जो वेन्डर इसमें इन्वोल्व था क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती।

इस सम्बन्ध में विभागीय सचिव ने अवगत करवाया कि उसके खिलाफ भी रिकवरी का प्रोसैस हम करेंगे और उसके विरूद्व एफ0 आई0 आर0 के लिए लिखित में उपायुक्त को निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। अगर पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व होगी तो रिकवरी करना विभाग के लिए आसान हो जाता है।

समिति ने जानना चाहा कि ये कार्रवाई विभाग कितने समय में करेगा।

इस संम्बन्ध से निदेशक (ग्रा0वि0एवं पं0राज0) ने अवगत करवाया कि कर्मचारियों और अधिकारियों के विरूद्व जो जांच प्रक्रिया चलती रहेगी। और जब समिति ने निर्देश दिए हैं तो हम जल्द इस कार्रवाई को पूरा करेंगे।

विभागीय सचिव ने अवगत करवाया है कि पंचायती राज अधिनियम में वेंडर के खिलाफ आई0पी0सी0 का क्राईम बनता है, इसलिए विभाग उनके खिलाफ भी एफ0आई0आर0 करेंगे और ये भी देखेंगे कि रिकवरी के लिए क्या प्रावधान बनता है।

समिति ने जानना चाहा कि विभाग ने प्रधान को तो सस्पेंड कर दिया लेकिन जिन कर्मचारियों/अधिकारियों पर जांच बिठाई गई है उनकी विभागीय जांच तो लंबे समय तक चलेगी इसलिए जब तक जांच पूरी होगी और उसमें कोई निर्णय आएगा, तब तक विभाग उन्हें क्या दण्ड दे रहा है। क्योंकि उनसे जब रिकवरी होगी तब होगी लेकिन कुछ-न-कुछ सजा तो अभी मिलनी चाहिए।

विभागीय सचिव ने समिति को अवगत करवाया कि उनको सस्पेंड कर देंगे, उनकी जांच ए0डी0एम0 सिरमौर के पास चल रही है इन्हें जिला से बाहर नहीं भेजा जा सकता लेकिन ब्लॉक से बाहर भेज दिया जायेगा।

सिफारिश:

लेखा आपत्ति में वर्णित अनियमितताओं से स्पष्ट है कि खण्ड विकास अधिकारी, लेखापाल, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोज़गार सेवक,पंचायत निरीक्षक/उप निरीक्षक, JE, AE, XEN, पंचायत पदाधिकारी, निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने वाला आपूर्तिकर्ता (Vendor) सभी ने मिलकर और कार्य की जांच न करके उसकी मेंजरमन्ट करने की जिम्मेवारी को न निभाकर इस वित्तीय दुर्विनियोजन को अंजाम दिया और मात्र 16 दिनों में इतनी अधिक निर्माण सामग्री क्रय कर ली गई। कार्य की टेक्नीकल कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा कोई measurement नहीं की गई। जिसके

दृष्टिगत समिति सिफारिश करती है कि इन सभी से इस राशि की वसूली(with penal interest) की जाये व इनके विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक, अपराधिक व दण्डात्मक कार्रवाई की जाए जिससे यह पूर्ण प्रदेश के लिए एक मिसाल बने।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि उपरोक्त मामले में संलिप्त सभी कर्मचारियों को सम्बन्धित ब्लॉक से बाहर स्थानातरण किया जाए और की गई कार्रवाई से समिति को अवगत करवाएं।

साथ ही समिति यह भी सिफारिश करती है कि उपरोक्त मामले में संलिप्त vendorको blacklist किया जाए तथा कृत्त कार्रवाई से समिति को अवगत करवाएं।

37.पैरा सं0: 10.5 जे०सी०बी द्वारा करवाये गये ₹18.90 लाख के कार्य में अनियमितता बारेः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002के नियम 93 से 107 में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित प्रावधान वर्णित है।अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट-27** के अनुसार अवधि 4/2018 से 03/2023 तक ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे०सी०बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर ₹1889623 के विभिन्न सड़कों के निर्माण व मुरम्मत कार्य करवाये गये, जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गईः-

>तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्राक्कलन क्यूबिक मीटर में तैयार किये गये थे जबकि कार्य घण्टों के आधार पर करवाया गया।
>कार्य निष्पादन हेतु टेंडर/निविदा आमन्त्रित नहीं किये गये थे।
>कार्य पूर्ण होने का कोई प्रमाण पत्र अभिलेख में दर्ज नहीं था।
>भुगतान बिलों में दर्शाये गये घण्टों को तकनीकी अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।
>भुगतान बिलों से **परिशिष्ट-27** पर ₹245651 की प्रतिभूति राशि, जी०एस०टी०, आयकर इत्यादि की स्त्रोत पर संवैधानिक कटौतियां नहीं की

गई थी जिससे सरकारी राजस्व की हानि हुई।

अतः उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की सम्भावित वित्तीय अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन 1, दिनांक 18/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-01, दिनांक 18/12/2023, 2, दिनांक 26/12/2023, 2023-24-नाया पजोड-04-02, दिनांक 26/12/2023,4, दिनांक 27/12/2023 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः

लेखा आपत्ति में दर्शाई गई अनियमितताओं से स्पष्ट है कि जिम्मेवार कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002के नियम 93 से 107 का उल्लंघन करने के साथ-साथराजकीय कोष को हानि भी पहुंचाई ।

इसके दृष्टिगत समिति सिफारिश करती है कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों/पदाधिकारियों से ₹2,45,651 की सरकारी राजस्व की हानि वसूल की जाए (with penal interest) साथ ही बरती गई अनियमितताओं के कारण जो राजस्व की हानि हुई है वो भी वसूल करके उत्तरदायी लोगों के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्राक्कलन जब cubic metre के आधार पर तैयार किए थे, तो कार्य घण्टों के आधार पर क्यों करवाया गया। पूर्ण ब्यौरे से समिति को अवगत करवाएं।

cubic metre के आधार पर तैयार किए गए प्राक्कलनों के अनुसार इस कार्य की कुल कितनी estimate cost Calculate की गई थी ; प्रत्येक कार्य (सड़कों के निर्माण एवं मुरम्मत कार्य) की estimate cost का ब्यौरा पृथक-पृथक दें।

38. पैरा सं0: 10.6 आपूर्तिकर्त्ता के बिलों ₹6.52 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना

हि०प्र० माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म डब्लयू) या सप्लीमेन्ट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार प्रस्तावित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अवहेलना करके आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति प्राप्त की गई परन्तु रॉयल्टी की कटौती न करके निम्न विवरणानुसार ₹**651975** का अनियमित भुगतान किया गया जिसकी सीधी राजकीय कोष को हानि हुई।

क्र0सं0	विवरण	राशि ₹
1	वर्ष 2018-19 के दौरान देय रॉयल्टी की गणना{**परिशिष्ट-28(क)**}	138909
2	वर्ष 2019-20 के दौरान देय रॉयल्टी की गणना{**परिशिष्ट-28(ख)**}	31630
3	वर्ष 2020-21 के दौरान देय रॉयल्टी की गणना{**परिशिष्ट-28(ग)**}	102771
4	वर्ष 2021-22 के दौरान देय रॉयल्टी की गणना{**परिशिष्ट-28(घ)**}	183771
5	वर्ष 2022-23 के दौरान देय रॉयल्टी की गणना{**परिशिष्ट-28(ङ)**}	194894
	कुल	**651975**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 1, दिनांक 18/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-01 दिनांक 18/12/2023, 2, दिनांक 26/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-02 दिनांक 26/12/2023, 4, दिनांक 17/12/2023, 5, दिनांक 03/01/2024, 6 दिनांक 06/01/2024, 2023-24-नाया पंजोड-04-03, दिनांक 08/01/2024 2023-24-नाया पंजोड-04-05, दिनांक 16/01/2024, 7. दिनांक 19/01/2024 तथा 2023-24-नाया पंजोड-04-06, दिनांक 23/01/2024 द्वारा रॉयल्टी की कटौती न करने का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अंकेक्षण को अवगत करवाया कि

वर्तमान में रॉयल्टी की कटौती नियमानुसार की जा रही है जो कि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत उचित प्रतिउत्तर नहीं है।

सिफारिशः

समिति सिफारिश करती है कि ₹6,51,975 की रॉयल्टी की वसूली (with penal interest) तत्कालीन उत्तरदायी कर्मचारियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों व आपूर्तिकर्त्ताओं से की जाये और भविष्य में ऐसी पुनर्रावृति न करने के निर्देश प्रदेश के सभी पंचायतों को दिये जाये।

समिति का मत है कि उपरोक्त मामले में सम्बंधित कर्मचारियों/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित Transit Pass or Supplementary Pass के बिना निर्माण सामग्री (रेत,बजरी, पत्थर इत्यादि) हेतु भुगतान भी किया जो नियमों का एवं माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना है।

अतःसमिति सिफारिश करती है कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित W एवं X Form के बिना किसी भी दशा में निर्माण सामग्री (रेत,बजरी व पत्थर) का भुगतान न हो। अतः इस बात को सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी किए जाए।

समिति का मत है कि जहां पंचायतीराज विभाग द्वारा उक्त मामले में लापरवाही बर्ती गई, वहीं दूसरी ओर mining department ने अपने कर्तव्यों का पालन गम्भीरता से नहीं किया है।

अतः समिति सिफारिश करती है कि इस मामले में mining department के सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारियों को चेतावनी दी जाए कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न दोहराएं तथा कृत्त कार्रवाई से समिति को अवगत करवाएं।

39. पैरा सं0: 10.7 निर्माण सामग्री की प्राप्त मात्रा से ₹4.75 लाख के वॉइड्स (Voids) की कटौती न करना:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से निर्धारित दर से वॉइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जबकि हि०प्र० पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम०एम० से लेकर 20 एम०एम० तक 5% व 25 एम०एम० से लेकर 40 एम०एम० तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम०एम० से लेकर 75 एम०एम० तक 12.5% की दर से वॉइड्स (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹474577 का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है:-

क्र0सं0	विवरण	राशि(₹)
1	वर्ष 2018-19 के दौरान अपेक्षित वाइड्स की गणना {**परिशिष्ट-29(क)**}	96005
2	वर्ष 2019-20 के दौरान अपेक्षित वाइड्स की गणना{**परिशिष्ट-29(ख)**}	21898
3	वर्ष 2021-22 के दौरान अपेक्षित वाइड्स की गणना{**परिशिष्ट-29(ग)**}	80032
4	वर्ष 2022-23के दौरान अपेक्षित वाइड्स की गणना{**परिशिष्ट-29(घ)**}	180795
5	वर्ष 2022-23के दौरान अपेक्षित वाइड्स की गणना{**परिशिष्ट-29(ङ)**}	95847
	कुल	**474577**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 1, दिनांक 18/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-01 दिनाक 18/12/2023, 2, दिनांक 26/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-02, दिनांक 26/12/2023, 4, दिनांक 17/12/2023 5, दिनांक 03/01/2024, 6, दिनांक 06/01/2024, 2023-24-नाया पंजोड-04-03, दिनांक 08/01/2024 2023-24-नाया पंजोड-04-05, दिनाक 16/01/2024, 7, दिनांक 19/01/2024 तथा 2023-24-नाया पंजोड-04-06, दिनांक 23/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत

करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में उन्होनें अंकेक्षण को अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत में वॉइड्स की कटौती नहीं की जाती है। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि नियमानुसार निर्माण सामग्री से वॉइड्स (Voids) की कटौती की जानी अपेक्षित है।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि जो तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी इस गणना के लिए उत्तरदायी थे, उनसे इस राशि की वसूली/कटौती (with penal interest)की जाए व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971(2009 में संशोधित) के नियम 24 व अन्य नियमों के अनुसार कार्रवाई कर, समिति को अवगत करवाया जाए।

40. पैरा सं0: 10.8 निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों एवं प्रक्रिया की अनुपालना के बिना ₹9.55 लाख का भुगतानः-

पंचायतों द्वारा पेवर ब्लॉक तथा टाइलों के विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग के पत्र सं० PCH-HC (10)-FFC-Misc-60819-978, दिनांक 13/11/2018 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों एवं प्रक्रिया जैसे- "It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of rates in the estimate. Before placing the supply order or awarding the work to the lowest bidder, justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded the Technical sanction" आदि की अनुपालना की जानी अपेक्षित है, परन्तु उक्त मानकों एवं प्रक्रिया को पूर्ण किए बिना निम्न विवरणानुसार पेवर ब्लॉक तथा टाइलों हेतु₹954562 का भुगतान किया गया जो कि अनियमित हैः-

क्र0 सं0	योजना	कार्य	वाउचर सं0/ माह	बिल सं0	आपूर्तिकर्त्ता	मद	भुगतान राशि (₹)
1	मनरेगा	C/O PACCI GALI DIGWALI TO		38 05-05-2018		इन्टरलॉक टाईल्स 2000	43896

		MOJADI-II		39 07-05-2018	International Tiles Corporation	इन्टरलॉक टाईल्स 2000	43896
				55 201811-07-		इन्टरलॉक टाईल्स 2000	43896
				56 13-07-2018		इन्टरलॉक टाईल्स 2000	43896
				60 19-07-2018		इन्टरलॉक टाईल्स 500	10974
2	स्वःस्त्रोत/ सामान्य निधि	Pacci Gali Dawa Dhala to Dewa	OWN/2020 - 21/P/30 19-03-21	PKL-21116/ 09/ -11-20	Impact Enterprises Ltd.	80 मी0मी0 ग्रे ईन्टरलॉक टाईल्ज 1000	16000
						60 मी0मी0 ग्रे ईन्टरलॉक टाईल्स 2200	26400
						60 मी0 मी0 रेड ईन्टरलॉक टाईल्स 2200	26400
3	14वां वित्त आयोग	R/o Rasta Sadak to Jitadi Tandiyo	FFC/2020-21/P/10 18-06-20	44/ 10-08-20	International Tiles Corporation	ईन्टरलॉक टाईल्स 2900	63649
4	मनरेगा	C/o Pacci Gali Interlock Tiles Lani to Kafenu Mansadi		317/ 09-01-23	M/s Yashpal Singh	4000 ईन्टरलॉक टाईल्स	99679
5	मनरेगा	C/o Interlock Tiles Khardah To Bag Khala		315/ 07-01-23	M/s Yashpal Singh	4000 ईन्टरलॉक टाईल्स	99402
6	मनरेगा	C/o Interlock Tiles Minggwani Digwali.		320/ 11-01-2023	M/s Yashpal Singh	3000 ईन्टरलॉक टाईल्स	75457

		Mojadi		321/ 12-01-23	M/s Yashpal Singh	3000 ईन्टरलॉक टाईल्स	75457
7	मनरेगा	C/o Pacca Rasta DPN Sadak to Nognal Mojadi		401/ 05-12-21	Sh. Bheem Dutt	4000 ईन्टरलॉक टाईल्स	103840
				402/ 07-12-21	Sh. Bheem Datt	4000 ईन्टरलॉक टाईल्स	103840
				404/ 09-12-21	Sh. Bheem Datt	3000 ईन्टरलॉक टाईल्स	77880
						कुल	954562

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन 2023-24-नाया पंजोड-04-02. दिनांक 26/12/2023 2023-24-नाया पंजोड-04-03, दिनांक 08/01/2024 तथा 2023-24-नाया पंजोड-04-06, दिनांक 23/01/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः

समिति सिफारिश करती है कि जिन कर्मचारियों/अधिकारियों ने निर्धारित मानकों एवं प्रक्रिया की अनुपालना के बिना सामग्री क्रय की उन से इसका स्पष्टीकरण लिया जाये व समिति को अवगत करवाया जाये।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि इस प्रकार की पुनरावृति प्रदेश में न हो, इस हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाए तथा निर्देशों की अनुपालना अक्षरशः सुनिश्चित करवाई जाए।

41. पैरा सं0: 10.9: ₹3.16 लाख के भुगतान की प्रविष्टियाँ माप पुस्तिकाओं में न करनाः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम **101** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित औपचारिकताएं प्रावधित हैं। परन्तु ग्राम पंचायत के विशेष अंकेक्षण अवधि

04/2018 से 03/2023 के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वाराविभिन्न निर्माण कार्यों के एवज में मस्ट्रोल से किये गये भुगतान की प्रविष्टियां माप पुस्तिकाओं में दर्ज नहीं की गई थी जोकि अनियमित है। परिणामस्वरूप **परिशिष्ट-30** के अनुसार किए गए ₹315530 के भुगतान की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सकी।

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-03, दिनांक 08/01/2024 2023-24-नाया पंजोड-04-05, दिनांक 16/01/2024, 7, दिनाक 19/01/2024 तथा 2023-24-नाया पंजोड-04-06, दिनांक 23/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः

समिति सिफारिश करती है कि भुगतान की प्रविष्टियां माप पुस्तिकाओं में करने के लिए जिम्मेवार कर्मचारियों/अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जाये व कृत कार्रवाई से समिति को अवगत करवाया जाये।

इस हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाए तथा निर्देशों की अनुपालना अक्षरशः सुनिश्चित करवाई जाए।

42. पैरा सं0: 10.10 माप-पुस्तिकाओं में उपयोग की गई सामग्री की खपत विवरणी तैयार न करनाः-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 के अन्तर्गत्त पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित औपचारिकताएं प्रावधित है। परन्तु ग्राम पंचायत नाया पंजोड के विशेष अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2022 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित कार्यों में प्रयोग की गई निर्माण सामग्री जैसे सीमेन्ट/रेत/बजरी इत्यादि की खपत विवरणी माप पुस्तिकाओं में तैयार नहीं की गई थी। खपत विवरणियों के अभाव में जारी की गई

सामग्री व उसकी वास्तविक खपत की पुष्टि नहीं हो सकी जबकि निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य पर ₹831183 की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका था।

क्र0 सं0	योजना	कार्य	मस्ट्रोल सं0	माप पुस्तिका /पृ0सं0	भुगतान राशि(₹)
1	मनरेगा	C/o Soil Cons Work Panjor	695	6002/60	12180
			1695	6002/75	36540
			2209	6002/80	51765
			2961	6002/84	8323
2	मनरेगा	C/o LDW Ramsa S/o Jai Singh R/o Naya	270	6002/43	21120
3	मनरेगा	C/o LDW Khushiya S/o Meher Singh R/o Panjor	268	6002/47	26390
			685	6002/62	21315
4	मनरेगा	C/o LDW Deep Ram S/o Puniya R/o Panjor	275	6002/40	15756
			686	6002/63	27405
5	मनरेगा	C/o LDW Jogi Ram S/o Dhongu Ram R/o Panjor	1107	6002/73	34104
6	मनरेगा	C/o LDW Kaltu Ram S/o Sobha Ram R/o Panjor	277	6002/30	25740
			687	6002/66	15225
7	मनरेगा	C/o LDW Randeep Singh S/o Rambhaj R/o Tandio	476	6002/53	28826
8	मनरेगा	C/o LDW Sajnu S/o Jawala R/o Naya	269	6002/43	36540

9	मनरेगा	C/o LDW Surender Singh S/o Singha Ram R/o Panjor	266	6002/50	23760
10	मनरेगा	C/o LDW Ratti Ram S/o Mohi Ram R/o Panjor	273	6002/49	18473
11	मनरेगा	C/o LDW Jogi Ram S/o Molu Ram R/o Panjor	279	6002/46	11165
12	मनरेगा	C/o LDW Guman Singh S/o Shibiya R/o Panjor	280	6002/39	18473
			689	6002/65	27405
13	मनरेगा	C/o LDW Anil S/o Bali Ram R/o Panjor	475	6002/57	19894
14	मनरेगा	C/o LDW Kali Ram S/o Shupa Ram R/o Panjor	1110	6002/74	25578
15	मनरेगा	C/o LDW Devi Ram S/o Mohi Ram R/o Panjor	281	6002/45	24360
16	मनरेगा	C/o TCBL (Land Dev ,Seeds, Vermi Compost) Rooma Devi W/o Ran Singh R/o Panjor	2211	6002/80	12180
			2963	6002/84	28014
			3977	6002/89	15834
17	मनरेगा	C/o TCBL (Land Dev, Seeds, Vermi Compost) Binita Devi W/o Baru Ram R/o Panjor	482	6002/56	27405
			1111	6002/69	41818
18	मनरेगा	C/o TCBL (Land Dev, Seeds, Vermi Compost) Santosh W/o Tulsi Ram R/o	478	6002/52	34104
			11112	6002/72	17052

		Kafenu			
19	मनरेगा	C/o TCBL (Land Dev Work, Seeds Growing, Vermi Compost Dripto Devi W/o Sharma Chand R/o kafenu	3646	6002/786	14413
20	मनरेगा	C/o LDW Gopal Singh S/o Kaliya Ram R/o kafenu	282	6002/42	21924
			690	6002/67	41412
21	मनरेगा	C/o TCBL (Land Dev , Seeds, Vermi Compost) Sunita Devi W/o Jagpal R/o kafenu	691	6002/60	27405
			2965	6002/82	19285
					831183

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 7 दिनांक 19/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः

समिति ने माप पुस्तिकाओं में खपत विवरणी तैयार न करने को गम्भीरता से लिया और सिफारिश की, कि यदि सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी इन कमियों को तीन माह के भीतर दूर नहीं करते तो उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जो अधिकारी/कर्मचारी इन पुस्तिकाओं के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है और उन्होंने निरीक्षण नहीं किया और न ही इसे इंगित किया, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए।

43. पैरा सं0: 10.11 निर्माण कार्य की रिकार्ड प्रविष्टि के बिना सामग्री की खपत दर्शाकर ₹0.39 लाख का भुगतानकरना:

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव से सम्बन्धित औपचारिकताएंप्रावधित है। परन्तु ग्राम पंचायत के विशेष अंकेक्षण अवधि 04/2018 से 03/2023 में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य में मदों की रिकार्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिकाओं में नहीं की गई थी जिससे कार्य का निष्पादन सन्देहास्पद है जबकि सामग्री की खपत विवरणी तैयार करके **₹39387** का भुगतान किया गया जोकि अनियमित है।

योजना का नाम सामान्य निधि (निर्विरोध प्रधान)

कार्य का नाम- C/o Drinking Water Store Tank and Cattle Tube Naya

अनुमानित लागत-200000

माप पुस्तिका- 8447 (पृ0 सं0 48 से 50)

मद का विवरण जो निष्पादित नहीं की गई माप पुस्तिका- 8447 पृ0सं0 50	**माप पुस्तिका अनुसार मद के प्रयोग में लाई गई सामग्री तथा मात्रा**		**सामग्री की दर**	**राशि(₹)**
1 P&L Cement Concerete 1:4:8- 1.59 m^3	सीमेंट	5 बैग	400	2000
	रेत	0.75m^3	3000	2250
	बजरी	1.42m^3	3000	4260
2 RR Stone Massonary 1:6- 2.25m^3	सीमेंट	4 बैग	400	1600
	रेत	0.79m^3	3000	2370

	पत्थर	$2.61m^3$	1500	3915
3 Payment for Tiles	माप पुस्तिका में मात्रा अंकित नहीं			22992
	कुल अधिक भुगतान			**39387**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-04 दिनांक 10/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः

समिति सिफारिश करती है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मु00.39₹ लाख के भुगतान को जस्टिफॉई नहीं करते है, तो इसकी वसूली (with penal interest) उनसे की जाए।

44. पैरा सं0: 10.12 माप पुस्तिका में सामग्री का गलत उपयोग दर्शाकर ₹0.23 लाख का अधिक भुगतान करनाः

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 से 107 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु औपचारिकताएं प्रावधित हैं। परन्तु ग्राम पंचायत के विशेष अंकेक्षण अवधि 04/2018 से 03/2023 में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका में मदों के निष्पादन में सामग्री का गलत उपयोग दर्शाकर **₹23295** का अधिक भुगतान किया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है:-

विवरण	मद	निर्माण कार्य में निष्पादित की गई मद	माप पुस्तिका अनुसार प्रयोग में लाई बजरी की मात्रा	सही गणना	गलत दर्शाई गई खपत	मद की दर(₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
योजना का नाम- 15वां वित्त आयोग **कार्य का नाम-** C/o Sanjha Prangan near Kahasu Temple Naya अनुमानित लागत- 100000 **माप पुस्तिका-** 8447 पृ0सं0 (69 से 70)	RR Stone Massonary 1.6-21 m^3	बजरी	1.15m^3	0m^3 (RR Stone Massonary 1.6 में बजरी प्रयोग में नहीं लाई जाती है)	1.15m^3	3000	3450
योजना का नाम- मनरेगा **कार्य का नाम-** C/o Soil Cons Work Aarn Rasta Chorta Naya **मस्ट्रौल सं0-** 4263 **माप पुस्तिका-** 6002 (पृ0सं091)	RR Stone Massonary 1:6-21 m^3	बजरी	9m^3	0m^3 (RR Stone Massonary 1.6 में m^3बजरी प्रयोग में नहीं लाई जाती है)	9 m^3	2100+ GST5%	19845
कुल भुगतान							**23295**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-04 दिनांक 10/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः-

समिति सिफारिश करती है कि मु0 ₹0.23 लाख की वसूली(with penal interest) जिम्मेवार कर्मचारियों/अधिकारियों/पदाधिकारियों से की जाये व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाये।

45. पैरा सं0: 10.13 माप पुस्तिका व मस्ट्रोल में गणना की त्रुटि के कारण ₹0.27 लाख का अधिक भुगतानः

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा दावों के भुगतान करने से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न कार्यों हेतु किए गए भुगतानों में **परिशिष्ट-31**पर दिए गए विवरणानुसार माप पुस्तिका व मस्ट्रोल में गणना की अंक गणितीय त्रुटि करके **₹26547**का अधिक भुगतान किया गया जोकि आपत्तिजनक है। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01 दिनांक 18/12/2023, 02 दिनांक 26/12/2023, 2023-24-नाया पंजोड-04-04 दिनांक 10/01/2024, 2023-24-नायापंजोड-04-05 दिनांक 16/01/2024 तथा 7 दिनांक 19/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिशः

समिति सिफारिश करती है कि जिनकी गणना त्रुटि के कारण अधिक भुगतान किया गया, उनसे वसूली (with penal interest) की जाये व भविष्य मे गणना करते समय इस बारे सावधानी बरती जाए।

46. पैरा सं0: 10.14 मनरेगा कार्यों हेतु ₹1.63 लाख की मजदूरी का कम भुगतानः-

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्याः एस०एम०एस०-1/2021-22- आर०डी०डी०-7082-7113, दिनांक 20.04.2021 व पत्र संख्या एस०एम०एस०-1/2022- 23-आर०डी०डी०-3472-3595, दिनांक 30.03.2022 द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में मनरेगा कार्यों हेतु अकुशल मजदूरों के लिए क्रमशः ₹203 व₹212 की न्यूनतम दिहाड़ी निर्धारित की गई है। परन्तु पंचायत के विशेष अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मजदूरों को वास्तविक मजदूरी से बहुत कम दिहाड़ी का भुगतान किया गया था। उदाहरण के तौर परमजदूरों को निम्न विवरणानुसार 855 कार्य दिवसों हेतु कुल ₹175050 की मजदूरी देय बनती थी परन्तु नाप पुस्तिकाओं में ₹11966 के कार्य का मूल्यांकन दर्शाकर मजदूरी का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूम ₹163084 (₹175050-₹11985) की मजदूरी का कम भुगतान किया गया जिससे मजदूरों का शोषण किया गया प्रतीत होता है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मस्ट्रौल सं0	माप पुस्तिका सं0/पृ0 सं0	कार्य दिवस	प्रतिदिन निकाली गई भुगतान दर	वास्तविक दर प्रतिदिन जो बनती थी	माप पुस्तिका सं0 अनुसार भुगतान(₹)	भुगतान जो बनता था(₹)	कम भुगतान(₹)
1	C/o LDW Man Singh S/o Thaplu R/o Lani (1.10.21 to 15.10.21)2021-22 **{परिशिष्ट-32(क)(I)}**	2216	6002/79	225	13.33	203	3000	45675	42675
2	C/o LDW Ganga Ram S/o Kana R/o Panjor (1-10-21 to 15.10.21) 2021-22 **{परिशिष्ट-**	2217	6002/78	225	3.18	203	716	45675	44959

	32(क)(II)}								
3	C/o LDW Surat Singh S/o Shawanu R/o Lani (1.10.21 to 15.10.21) 2021-22 {परिशिष्ट-32(क)(III)}	2215	6002/79	240	15.62	203	3750	48720	44970
4	C/o Irri Tank Tandiyo (01.01.23 to 15.01.23) 2022-23{परिशिष्ट-32(क)(IV)}	4024	8447/81	90	25	212	2250	19080	16830
5	C/o Irri Tank Majgo (1.1.23 to 15.1.23) 2022-23{परिशिष्ट-32(क)(V)}	4026	8447/81	75	30	212	2250	15900	13650
	कुल			855			11966	175050	163084

सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 9 दिनांक 30/01/2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने व तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उत्तर अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया।

सिफारिशः

समिति को कम भुगतान केकारणों से अवगत करवाएं।साथ ही समिति यह भी सिफारिश करती है कि यदि जांच के उपरान्त यह स्पष्ट हो जाता है मज़दूरों को वास्तविकता में कम भुगतान किया गया है तो उनको वास्तविक मजदूरी अदा की जाए तदोपरान्त समिति को कृत कार्रवाई से अवगत करवायें।

47.पैरा सं0: 10.15 मस्ट्रोल में उपस्थिति काटे जाने उपरान्त भी ₹0.03 लाख का भुगतान करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 के अनुसार पंचायत द्वारा दावों के भुगतान से पूर्व इनकी गणित सम्बन्धी शुद्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। परन्तु मनरेगा के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित मस्ट्रोल में मजदूर की उपस्थिति काट दी गई थी परन्तु फिर भी **परिशिष्ट-33** के अनुसार **₹3180**की मजदूरी का भुगतान किया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

योजना का नाम	कार्य का नाम	मस्ट्रौल सं0/भुगतान दिनांक	नाम	कार्य दिवस जो काटे गए	मज़दूरी दर प्रतिदिन(₹)	भुगतान राशि(₹)
मनरेगा	C/o Pacca Rasta DPN Sadak to Nognal Mojadi	3754/19-12-2022	श्रीमति छुम्मा देवी	15	212	3180

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 2023-24-नाया पंजोड-04-06 दिनांक 23/01/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में तथ्यों व आंकडों की पुष्टि करते हुए उचित कार्यवाही करने के उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

सिफारिश

समिति सिफारिश करती है कि इस अदायगी के लिए उत्तरदायी लोगों से वसूली (with penal interest)की जाए व भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी भी दी जाए।

48. पैरा सं0: 11 अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः-

पैरा सं0: 11.1 ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत की चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः -

ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई-ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षणज्ञापन संख्या 3 दिनांक 27/12/2023 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

सिफारिश

समिति सिफारिश करती है कि शीघ्रातीशीघ्र पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर दर्ज कर समिति को अवगत करवाया जाये।

49. पैरा सं0: 11.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित वआपत्तिजनक है:-

क्र0सं0	रजिस्टर/ अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25व 26	72 (1) ए व बी
9	तकनीकी जांच व तकनीकी स्वीकृति ऐस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	6	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34
5	कर रजिस्टर	16	34

सचिव, ग्राम पंचायत से अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 3 दिनांक 27/12/2023 जारी करके उपरोक्त आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि आपत्तिजनक है जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध करवाना अपेक्षित है।

सिफारिशः

समिति को अंकेक्षण के दौरान विहित रजिस्टर/ अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारणों से अवगत करवाया जाये व उनको तीन माह के भीतर हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग से सत्यापित कर एक प्रमाण पत्र हासिल कर समिति को अवगत करवाये।

साथ ही जिम्मेवार कर्मचारियों/अधिकारियों से भी इस कोताही का स्पष्टीकरण लिया जाए व कृत कार्रवाई से समिति को अवगत करवायें।

50. पैरा सं0: 12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत में स्थाई स्टॉक का भौतिक सत्यापन समय पर नहीं करवाया गया था जोकि उक्त नियम की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत भण्डार रजिस्टर का अवलोकन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा स्थाई स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करने की पुष्टि हुई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

सिफारिशः

समिति सिफारिश करती है कि प्रतिवेदन की उपस्थापना से एक माह के भीतर भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन सुनिश्चित किया जाए व जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का यह दायित्व था उनके विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करके समिति को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी मत व्यक्त किया है कि प्रदेश की लगभग सभी PRI's के आडिट के दौरान तीनोंआडिट एजैंसियों द्वारा बार-बार निम्न कमियों को आडिट पैरा के माध्यम उजागर किया गया है:-

1. **पंचायत राजस्व की वसूली न करना**
2. **अनुदान राशि का उपयोग न करना;**
3. **औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना ही स्टॉक का क्रय करना;**
4. **रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान न होना,**
5. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना;**
6. **प्रिया सोफ्ट व हैंड रिटन लेखों में अंतर;**
7. **स्टॉक रजिस्टर मैंटेन न करना;**
8. **माप पुस्तिकाओं एवं विभिन्न अभिलेखों को अंकेक्षण के लिए प्रस्तुत न करना;**
9. **विभिन्न अनियमित व्यय और**
10. **पंचायतों द्वारा labour cess, GST,Income Tax, Royalty etc.(Statutory deductions) की कटौती न करना आदि सम्मिलित है।**

उपरोक्त के दृष्टिगत समिति ने संपूर्ण प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के दृष्टिगत निम्न सिफारिशें भी की हैं, साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि विभाग उक्त कमियों की पुनरावृति को रोकने के लिए निम्न सिफारिशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करें:-

1. **समिति सिफारिश करती है कि विभाग महा लेखाकार कार्यालय, पंचायती राज विभाग के आन्तरिक लेखा परीक्षा तथा राज्य लेखा परीक्षा विभाग को विभिन्न Audits Reports में लगाए गए Audit Para's को शीघ्र समायोजन (Settle) करने हेतु विशेष प्रयास करे। विभाग इस सम्बन्ध में निदेशक पंचायती राज विभाग, जिला पंचायत अधिकारी, एवं पंचायत सचिव को विभिन्न Audit Agencies द्वारा लगाए गए Audit Paras को निर्धारित समयावधि में Audit Para Settle करने हेतु निर्देश जारी करें तथा इस हेतु निदेशक से पंचायत सचिव स्तर तक Audit Para's settlement के quarterly लक्ष्य निर्धारित किए जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि Panchayat inspectors वर्तमान में पंचायतों के मासिक निरीक्षण के निर्धारित लक्ष्यों में वृद्धि की जाए। जो Panchayat Inspector मासिक**

निरक्षण के निर्धारित/लक्ष्यों को पूरा नहीं करते उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

2. वर्तमान में पंचायतों में कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा Statutory Deductions (Labour cess/GST/Income Tax/Royalty) की कटौती नहीं की जा रही है। जिस कारण सरकार को हानि हो रही है। अतः समिति सिफारिश करती है कि जिन कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कटौती नहीं की गई उनसे हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971(2009 में संशोधित) के नियम 24 व अन्य नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सरकार की हानि की प्रतिपूर्ति की जाए। समिति को इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत करवाए।

4. समिति का मत है कि विभाग तीन स्तरों पर (पंचायतों/पंचायत समिति/जिला परिषद/) काफी बजट unspent है । परन्तु कितना बजट पूरे प्रदेश में unspent है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।अतः समिति सिफारिश करती है कि गत तीन वर्षों में दिनांक 31.01.2024 तक प्रदेश में विभाग में तीनों स्तरों पर(पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद) में कितनी राशि Unspent है। उसकी सूचना जिलावार समिति को उपलब्ध करवायें। समिति का मत है कि वर्तमान समय में PRI's का समस्त Record Digitilized नहीं है। इस कारण यह पता लगाना कठिन होता है कि कितनी राशि Unspent है। अतः समिति समिति सिफारिश करती है कि पंचायतों के रिकॉड को Digitilized किया जाए।

5. समिति यह भी सिफारिश करती है कि पंचायत निरीक्षकों व उप-निरीक्षकों (Panchayat Inspector/Sub Inspectors) की तैनाती Home Block में न की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जो कर्मचारी विभाग में 5 वर्ष से समय से एक ही ब्लॉक में तैनात है, उनकी उस ब्लॉक से transfer की जाए तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से समिति को अवगत करवाएं।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि जिन पंचायत सचिवों के पास दो या दो से अधिक पंचायतों के कार्यभार है, वह पंचायत सचिव अपना साप्ताहिक Duty Roaster जारी करें कि किस दिन वह किस पंचायत कार्यालय में उपलब्ध होंगे तथा Duty Roaster पंचायत घरों के बाहर चस्पां करें। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में दिनांक को 22, अगस्त 2024 को आवश्यक निर्देश जारी भी किए गए थे। परन्तु समिति पुनः सिफारिश करती है कि दिनांक 22, अगस्त 2024 को जारी आदेशों का पंचायतों में अक्षरक्षः पालन हो।

6. समिति यह भी सिफारिश करती है कि पंचायतों में Asset Register maintain किया जाए।

7. समिति यह भी सिफारिश करती है विभाग में जिस प्रकार केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं software based और उनकी Geo Tagging आवश्यक है, उसी तर्ज पर प्रदेश में PRIs द्वारा राज्य बजट से करवाए जा रहे समस्त कार्यों की monitoring हेतु software तैयार किए जाए, ताकि कार्यों की geo tagging हो सके। मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रति निधि ने समिति को आश्वस्त किया था विभाग इस सम्बन्ध में प्रयास करेगा। समिति को इस दिशा में कार्रवाई से अवगत करें।

8. समिति का मत है कि धरातल स्तर पर यह देखने में आया कि पंचायतों में विभागीय कर्मचारियों द्वारा अपने अपने रिशतेदारों को- vendor बनाया जाता है। जिससे पंचायतों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। समिति का यह भी मानना है कि इस प्रकार की Tendency को रोक जाना आवश्यक है। अत समिति सिफारिश करती है कि vendor से शपथ पत्र लिया जाए कि उसका पंचायत में कार्यरत किसी भी कर्मचारी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। इस संबंध में की गई कार्यवाही से समिति को अवगत करवाएं।

9. समिति सिफारिश करती है CCS (CCA) Rules 1965 के तहत जांच को निर्धारित समयावधि में पुरा करें। यदि जांच अधिकारी द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो जांच अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

10. समिति ने मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय अधिकारियों के ध्यान में लाया था कि पंचायतों में वर्तमान में Tender के माध्यम से कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं जिस कारण जहां पर एक पंचायत स्तर पर कार्य की गुणक्ता में कमी आई है वहीं दूसरी ओर पूरे प्रदेश में पंचायतों में धांधलियों/भ्रष्टाचार के मामले में वृद्धि हुई है। अतः समिति सिफारिश करती है विभाग पंचायतों में Tender के माध्यम से कार्य करवाए तथा इस हेतु विभाग अपने Technical wing को सुदृढ़ किया जाए। मौखिक साक्ष्य के दौरान विभागीय प्रतिनिधि ने समिति को आश्वासन दिया था कि समिति के सुझाव को ध्यान में रखते हुए इसे examine कर लिया जाएगा। समिति को इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से अवगत करें।